वार्षिक रिपोर्ट
2020-2021

NSIL
एनसिल

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)

अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सी.पी.एस.ई.)

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)
अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सी.पी.एस.ई.)

द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

विषय वस्तु

अध्यक्ष का भाषण	5
दूरदर्शिता	6
मिशन	6
निदेशक मंडल	7
मंडल की समितियाँ	7
बैंकर्स	8
लेखा परीक्षक	8
अधिवक्ता एवं न्यायाभिकर्ता	8
कम्पनी सचिव	8
निदेशक की रिपोर्ट	9
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	19
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	23
कार्पोरेट गवर्नेंस पर डी.पी.ई. दिशानिर्देशों पर खंड 4.5 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) का प्रमाणन	29
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा	30
कार्पोरेट गवर्नेंस अनुपालन प्रमाण-पत्र	31
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सी.एस.आर. एवं एस.डी. क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	32
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	36
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	44
सी. एवं ए.जी. द्वारा जारी टिप्पणी पर प्रबंधन का जवाब	46
31 मार्च 2021 तक का तुलन पत्र	47
31-03-2021 को समाप्त अवधि का लाभ तथा हानि लेखा	48
31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु नकद प्रवाह लेखा	49
वित्तीय विवरण का भाग बनाने वाले नोट	50

निदेशक मंडल

श्री राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अरूणाचलम ए.
निदेशक, तकनीकी एवं कार्यनीति

श्री उमामहेश्वरन आर.
निदेशक (इसरो द्वारा नामित)

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा
निदेशक (सरकार द्वारा नामित)

अधिवर्षिता

श्री नारायणन जी.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त)

डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी.वी.
निदेशक (इसरो द्वारा नामित)
(31 मई 2021 को सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष का भाषण

मुझे आप सब का न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल) कंपनी के द्वितीय वार्षिक आम बैठक में स्वागत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सब के समक्ष वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की उपलब्धियों तथा निष्पादन एवं आगामी वर्षों में कंपनी के व्यापार संबंधी दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहा हूँ।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, इस कंपनी ने 432.67 करोड़ भारतीय रुपए का कारोबार किया तथा 121.84 करोड़ भारतीय रुपए के कर के भुगतान के बाद लाभ प्राप्त किया। इस कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्त हुआ।

जून 2020 में, अंतरिक्ष संबंधी सुधारों के भाग के रूप में भारत सरकार की एक पहल "अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की संभावनाओं का विस्तार" करने के तहत कंपनी के अधिदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था, "माँग संचालित" पद्धति के आधार पर अंतरिक्ष संबंधी मिशनों को पूरा करने के लिए एनसिल को उत्तरदायित्व सौंपना। एनसिल के अधिदेश में उपग्रहों का निर्माण, उनका स्वामित्व, प्रमोचन तथा प्रचालन और अन्य कई कार्यों के अतिरिक्त ग्राहकों को शुरु से अंत तक सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

कंपनी ने अपने सभी व्यापार खंडों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस वर्ष के दौरान, प्रमुख व्यापार संबंधी विशेषताओं में से एक था, एनसिल द्वारा फरवरी 2021 के दौरान आई.एन.पी.ई., ब्राजील के ऐमेज़ोनिया उपग्रह के लिए **प्रथम समर्पित वाणिज्यिक पी.एस.एल.वी. प्रमोचन सेवा मिशन** का निष्पादन।

प्रमोचक रॉकेटों का शुरू से लेकर अंत तक के निर्माण कार्य को पूरा करने में भारतीय उद्योग की प्रतिभागिता को बढ़ाने की दिशा में एनसिल द्वारा भारतीय उद्योग की साझेदारी के माध्यम से 5 पी.एस.एल.वी. के निर्माण हेतु आर.एफ.पी. जारी किया गया। माँग संचालित मॉडल पर उपग्रहों के स्वामित्व तथा प्रचालन के अपने अधिदेश के भाग के रूप में, कंपनी ने इसरो के माध्यम से के.यू. बैंड संचार उपग्रह को पूरा करने के लिए क्रियाकलापों को पूरा किया है, जिसमें एक भारतीय डी.टी.एच. ग्राहक के लिए इसका प्रमोचन करना तथा शुरू से लेकर अंत के आधार पर अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना शामिल है। भारतीय ग्राहकों यथा डी.टी.एच. प्रचालकों के लिए के.यू. बैंड संचार उपग्रह एवं देश की ब्रॉडबैंड संचार आवश्यकता के लिए एच.टी.एस. संचार उपग्रह के लिए समान मॉडल पर और दो संचार उपग्रहों के निर्माण हेतु चर्चा जारी है। प्रौद्योगिकी अंतरण के क्षेत्र में इस कंपनी ने 15 प्रौद्योगिकी अंतरण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं तथा भारतीय उद्योग को इसरो द्वारा विकसित 8 प्रौद्योगिकियों का अंतरण किया है।

वैश्विक रूप से, निजी उद्योगों, स्टार्टअपों तथा निजी निवेशकों की बढ़ती प्रतिभागिता के साथ अंतरिक्ष उद्योग रूपांतरणात्मक विकास का गवाह बन रहा है और इस उभरते परिदृश्य से अंतरिक्ष उद्योग के भू-दृश्य में बदलाव हो रहा है। इस रुझान की ओर, एनसिल को भारतीय उद्योगों को एक अंतरिक्ष उत्पादन हब में परिवर्तित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी। एनसिल एक उपग्रह प्रचालक के तौर पर विकसित होगा तथा भारतीय उपग्रह क्षमता के माध्यम से प्रयोक्ताओं को वाणिज्यिक तौर पर स्पर्धात्मक तथा विश्वसनीय संचार उपग्रह सेवाएं प्रदान करेगा।

यह कंपनी कार्पोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन से संबंधित एक रिपोर्ट को इस मंडल की रिपोर्ट का एक भाग बनाया गया है। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व तथा संवहनीय विकास क्रियाकलापों से संबंधित रिपोर्ट को भी इस मंडल की रिपोर्ट का भाग बनाया गया है।

हस्ता/-
(राधाकृष्णन डी.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दूरदर्शिता

"वैश्विक ग्राहकों के लिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से उत्पन्न अंतरिक्ष संबंधी उत्पादों एवं सेवाओं को मुहैया कराने में उत्कृष्ट बनना तथा प्रौद्योगिकी रूप से चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेने में भारतीय उद्योग की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना"

मिशन

"प्रौद्योगिकी अंतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उच्च-प्रौद्योगिकी निर्माण आधार को बढ़ाने हेतु भारतीय उद्योगों को सक्षम बनाना, विभिन्न देशी एवं अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं हेतु उदीयमान वैश्विक वाणिज्यिक लघु उपग्रह प्रमोचन सेवा बाजार, उपग्रह सेवाओं को पूर्ति करना तथा अंतरिक्ष अंतरापृष्ठ के माध्यम से मानवजाति की भलाई हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उप-उत्पादों को सक्षम बनाना"

निदेशक मंडल

प्रकार्यात्मक/पूर्णकालीन निदेशक

श्री राधाकृष्णन डी., अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.08.2021 से)

श्री अरूणाचलम ए., निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति) (01.08.2021 से)

अंशकालिक पदाधिकारी/ सरकारी निदेशक :

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव, अं.वि.

इसरो नामित निदेशक :

श्री उमामहेश्वरन आर., वैज्ञानिक सचिव, इसरो मु.

प्रबंधन टीम

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	- श्री राधाकृष्णन डी. (01.08.2021 से) - श्री नारायण जी. (31.07.2021 तक)
निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)	- श्री अरुणाचलम ए. (01.08.2021 से) - श्री राधाकृष्णन डी. (31.07.2021 तक)
कंपनी सचिव	- श्रीमती रेणु के. (16.04.2021 से)

बोर्ड की समितियाँ

(13.08.2021 तक)

लेखापरीक्षा समिति

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा - अध्यक्ष

श्री उमामहेश्वरन आर.

श्री अरुणाचलम ए.

पारिश्रमिक समिति

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा - अध्यक्ष

श्री उमामहेश्वरन आर.

सी.एस.आर. समिति

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा - अध्यक्ष

श्री उमामहेश्वरन आर.

श्री अरुणाचलम ए.

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक,
डॉलर कॉलोनी शाखा,
न्यू बी.ई.एल. रोड,
बेंगलूरु - 560 054

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक,
8वाँ मेन,
मल्लेश्वरम,
बेंगलूरु

लेखा परीक्षक

मेसर्स पॉल एवं शानभोग,
चार्टर्ड एकाउन्टेंट,
24, चौथा मेन रोड,
मल्लेश्वरम,
बेंगलूरु - 560 003

अधिवक्ता एवं न्यायाभिकर्ता

मेसर्स किंग स्टब एवं कसीवा,
शाखा कार्यालय:
1ए., लाविल्ले मेंशन,
½ लाविल्ले रोड,
बेंगलूरु - 560 001

कम्पनी सचिव

बी.आर.के.एस. एवं एसोसिएट्स

निदेशक की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
बेंगलूरु

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार तथा लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय कथनों, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियों सहित कंपनी के प्रचालनों पर द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में वास्तव में हर्ष का अनुभव हो रहा है।

व्यापार की समीक्षा

इस कंपनी का सृजन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से उत्पन्न उत्पादों तथा सेवाओं का वाणिज्यिक रूप से दोहन करने तथा घरेलू एवं वैश्विक ग्राहकों की सेवा करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी अंतरण प्रणालियों के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादन आधार का उन्नयन करने हेतु भारतीय उद्योगों की सहायता करने के लिए किया गया है।

जून 2020 के दौरान, अंतरिक्ष सुधारों के भाग के रूप में भारत सरकार की एक पहल "अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की संभावनाओं का विस्तार", करने के तहत कंपनी को उपग्रहों तथा प्रमोचक रॉकेट प्रणालियों से संबंधित शुरू से लेकर अंत तक की वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्रियाकलापों को निष्पादित करने हेतु अधिदेशित किया गया। एनसिल का प्रमुख अधिदेश पूर्व में मौजूद "आपूर्ति संचालित" मॉडल के बदले "माँग संचालित" मॉडल पर अंतरिक्ष मिशनों को निष्पादित करना है।

अंतरिक्ष सुधारों के भाग के रूप में, एनसिल का संवर्धित अधिदेश निम्नानुसार है:

- भू-प्रेक्षण तथा संचार अनुप्रयोगों के लिए **उपग्रहों का स्वामित्व रखना** तथा अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना
- **उपग्रहों का निर्माण करना** तथा उन्हें माँग अनुसार प्रमोचित करना
- ग्राहकों के उपग्रहों के लिए **प्रमोचन सेवाएं प्रदान करना**
- भारतीय उद्योग के माध्यम से **प्रमोचक रॉकेटों का निर्माण करना** तथा उपग्रह ग्राहक की आवश्यकता अनुसार उन्हें **प्रमोचित करना**
- वाणिज्यिक आधार पर भू-प्रेक्षण तथा संचार उपग्रहों से संबंधित **अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना**
- भारतीय उद्योग के माध्यम से **उपग्रहों का निर्माण करना**
- राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को **मिशन सहायता सेवाएं प्रदान करना**
- भारतीय उद्योग को **प्रौद्योगिकी अंतरित करना**

व्यापार प्रचालनों पर और अधिक विवरण प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट में प्रस्तुत है।

वित्तीय सार / मुख्य अंश

इस कंपनी ने प्रथम वर्ष में ही अपने प्रचालनों की शुरुआत कर दी थी। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने प्रचालनों से 43,266.54 लाख भारतीय रुपए का राजस्व प्राप्त किया तथा कर की कटौती के बाद 12,184.17 लाख भारतीय रुपए का लाभ कमाया। मुख्य अंश निम्नानुसार है:

ब्यौरे	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए (रुपए लाख में)	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए (रुपए लाख में)
घरेलू कारोबार	16,443.75	3,293.18
निर्यात कारोबार	26,822.79	28,158.44

अन्य आय	1,167.71	725.47
कुल राजस्व	**44,434.25**	**32,177.09**
कुल व्यय	28,101.60	25,320.08
कर से पूर्व लाभ/ (हानि)	16,332.65	6,857.01
कर	4,148.48	1,727.56
कर से पश्चात लाभ/ (हानि)	12,184.17	5,129.45
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	छूट प्राप्त	1,540.00
सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण	शून्य	शून्य

लाभांश

सचिव, निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डी.आई.पी.ए.एम.) की अध्यक्षता में दिनांक 12.03.2021 को आयोजित सी.पी.एस.ई. (सी.एम.सी.डी.एस.) में पूँजीगत प्रबंधन तथा लाभांशों के मॉनीटरन हेतु समिति की दिनांक 18.03.2021 के फा. सं. 4 (30) (1)/2018-DIPAm-I (Pt) के अनुसार की गई सिफारिशों के अनुसरण में, एनसिल को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लाभांश के भुगतान से छूट प्रदान की गई।

आरक्षित निधियाँ

यह मंडल लाभ को सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरित करने की सिफारिश नहीं करता है।

व्यापार की प्रकृति में बदलाव

इस अवधि के दौरान, व्यापार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया गया।

वास्तविक / महत्वपूर्ण बदलाव

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, किसी भी प्रकार का कोई वास्तविक अथवा महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया।

विनियामकों द्वारा पारित आदेश

निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डी.आई.पी.ए.एम.) ने दिनांक 18.03.2021 के फा. सं. 4 (30) (1)/2018-DIPAm-I (Pt) द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एनसिल को वार्षिक लाभांश के भुगतान से छूट प्रदान की है।

सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, इस कंपनी की कोई भी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम अथवा संबंध कंपनी नहीं है।

जमा

इस कंपनी ने अब तक कोई भी जमा स्वीकार नहीं की, अब तक के तुलन पत्र में मूल अथवा ब्याज की कोई भी राशि बकाया नहीं है।

ऋण, गारंटियां एवं निवेश

इस कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। मेसर्स रमेश अश्विन एवं कारंत नामक चार्टर्ड एकाउंटेंटों को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया था। इससे प्रणालियों एवं नियंत्रणों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने में सहायता मिली। इनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा समिति द्वारा बाद में समीक्षा की गई। की गई सुधारात्मक कार्रवाई सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई। इस लेखा परीक्षा समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रभावकारिता की भी समीक्षा की गई।

शेयर पूंजी

वर्तमान में कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 1,00,00,00,000 भारतीय रुपये (मात्र सौ करोड़ रुपए) है, जिसे 10 भारतीय रुपये मूल्य के पूर्णतया प्रदत्त प्रत्येक के 10,00,00,000/- इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

वर्तमान में कंपनी की कुल जारी तथा दत्त पूंजी 10,00,00,000/- भारतीय रुपये है (मात्र दस करोड़ रुपये), जिसे पूर्ण रूप से प्रदत्त 10 भारतीय रुपये के 1,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

आऊटसोर्सिंग

आवश्यकताओं तथा गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर कंपनी भारतीय उद्योगों को कार्य आऊटसोर्स करती है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.एस.) से प्रापण

इस कंपनी का प्रमुख कार्य है इसरो के अंतरिक्ष उत्पादों तथा सेवाओं का विपणन तथा परियोजना प्रबंधन करना। सीमित कार्य क्षेत्र से, इस कंपनी ने एम.एस.ई.एस. से 31.09 लाख रुपये तक के माल/ सेवाओं का प्रापण किया है। गैर-एम.एस.ई. से प्रापण रु. 26,74 लाख के समान है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संवहनीय विकास (सी.एस.आर एवं एस.डी.)

चूँकि इस कंपनी ने अपने वाणिज्यिक क्रियाकलापों की शुरुआत वर्ष 2019-20 में की थी, वर्ष 2020-21 के लिए अधिदेशित सी.एस.आर. एवं एस.डी. निधि आबंटन प्राप्त करने के लिए उस वर्ष के निवल लाभ पर विचार किया जाएगा। डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों के अनुसार, सी.एस.आर. एवं एस.डी. क्रियाकलापों के लिए 138.00 लाख भारतीय रुपये को अलग से रखा गया है। 104.67 लाख भारतीय रुपये खर्च किए गए तथा 33.33 लाख भारतीय रुपये निर्धारित नियत दिनांकों के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-VII में सूचीबद्ध की गई निधियों में जमा कर दी गई। इन क्रियाकलापों से संबंधित अधिक जानकारी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ***सी.एस.आर. एवं एस.डी. क्रियाकलाप पर वार्षिक रिपोर्ट*** में प्रस्तुत की गई है।

संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

यह कंपनी अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। साथ ही, कंपनी के वर्तमान कर्मचारी अं.वि. / इसरो से हैं, जो कार्य व्यवस्था पर कार्यरत हैं तथा उनकी परिलब्धियों का भुगतान अं.वि./इसरो द्वारा किया जाता है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी ए.एस.-18 के अनुसार, संबंधित पक्षकार के लेन-देन का प्रकटन वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाली टिप्पणियों के टिप्पण सं. 8 में प्रस्तुत किया गया है।

मानव संसाधन विकास

इस कंपनी के प्रचालनों का प्रबंधन अं.वि./इसरो द्वारा प्रतिनियुक्त तथा विज्ञापन द्वारा भर्ती किए गए कार्यकारियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने अपने वेतन-पत्रक पर 7 कार्मिकों की भर्ती की है। कंपनी द्वारा आरक्षण से संबंधित नियमों का अनुपालन किया गया है।

लेखापरीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) के दिनांक 19/08/2020 के पत्र सं. सं./सी.ए.V/सी.ओ.वाई./केंद्र सरकार, एनसिल (1)/572 के अनुसार, मेसर्स पॉल एवं शानभोग, चार्टर्ड एकाउंटेंट, बेंगलूरु को वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी

वर्ष 2020-21 के दौरान, लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं दी गई।

वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी एवं स्पष्टीकरण

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई भी अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा अस्वीकरण नहीं था।

कार्पोरेट गवर्नेंस का अनुपालन प्रमाण-पत्र पर टिप्पणियाँ एवं स्पष्टीकरण

मेसर्स बी.आर.के.एस. एवं एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीस की सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रेक्षणों पर टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं-

प्रेक्षण	टिप्पणियाँ / स्पष्टीकरण
न्यूनतम 4 मंडल बैठकों का आयोजन नहीं किया गया	भारत सरकार ने कोविड-19 के आरंभिक दिनों के दौरान मार्च 2020 से जून 2020 तक सख्त लॉकडाउन लगाया था और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 24 मार्च 2020 के सामन्य परिपत्र सं. 11/2020 द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 173 के अनुसार 120 दिनों के अंतराल के बदले 180 दिनों के अंतराल से कंपनियों को मंडल बैठकों के आयोजन हेतु अनुमति प्रदान की थी। चूँकि इस प्रकार का संपूर्ण लॉकडाउन पूरे विश्व के लिए एक नया अनुभव था, यह कंपनी वर्चुअल बैठकों हेतु योजना नहीं बना सकी। तदनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान मात्र तीन मंडल बैठकों का आयोजन किया जा सका।
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई	यह कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा परिलब्धियों (प्रकार्यात्मक निदेशकों सहित) का निर्धारण अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा की जाएगी। अं.वि. कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में है।
सूचना प्रदाता नीति को कार्यान्वित नहीं किया गया है	यह कंपनी अपनी सूचना प्रदाता नीति के निर्माण की प्रक्रिया में है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लेखा पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ-साथ उस पर प्रबंधन के उत्तर को इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धि

व्यापार प्रचालनों का ब्यौरा ***प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट*** में प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान एक प्रमुख उपलब्धि थी 28 फरवरी 2021 को पी.एस.एल.वी.-सी51 उड़ान द्वारा आई.एन.पी.ई., ब्राजील के ऐमेज़ोनिया-1 उपग्रह का प्रमोचन। पी.एस.एल.वी.-सी51/ऐमेज़ोनिया-1 मिशन एनसिल का प्रथम समर्पित वाणिज्यिक मिशन था।

28 फरवरी 2021 को पी.एस.एल.वी.-सी51/ऐमेज़ोनिया-1 का प्रमोचन

भविष्य का दृष्टिकोण

एनसिल वाणिज्यिक तथा माँग संचालित मॉडल पर भावी संचार उपग्रहों का निर्माण, प्रमोचन करेगा, उनका स्वामित्व तथा प्रचालन करेगा। इसके अतिरिक्त, एनसिल भारतीय उद्योग से उत्पादन के माध्यम द्वारा इसरो के प्रमोचक रॉकेटों का निर्माण करेगा तथा उनका स्वामित्व रखेगा। माँग संचालित मॉडल पर उपग्रहों के निर्माण, प्रमोचन, स्वामित्व तथा प्रचालन के भाग के रूप में एनसिल एक भारतीय डी.टी.एच. प्रचालक के लिए के.यू. बैंड संचार उपग्रह को तैयार करने का कार्य कर रहा है, जिसमें इसका प्रमोचन तथा शुरू से अंत तक अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना शामिल हैं। इसके साथ-साथ, भारतीय ग्राहकों यथा अन्य डी.टी.एच. प्रचालकों के लिए के.यू. बैंड संचार उपग्रह तथा ब्रॉडबैंड संचार आवश्यकताओं के लिए एच.टी.एस. संचार उपग्रह के लिए और दो संचार उपग्रहों के निर्माण हेतु भी चर्चा चल रही है। सरकार कक्षीय संचार उपग्रहों को एनसिल को अंतरित करने की प्रक्रिया में भी है।

निदेशकगण एवं मंडल बैठकें

31 मार्च 2021 तक मंडल में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. श्री नारायणन जी. - अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
2. श्री राधाकृष्णन डी. - निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)
3. श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव, अं.वि. - सरकार द्वारा नामित निदेशक
4. श्री उमामहेश्वरन, वैज्ञानिक सचिव - इसरो द्वारा नामित निदेशक
5. डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी. वी., निदेशक, सी.बी.पी.ओ., इसरो मु. - इसरो द्वारा नामित निदेशक

वर्ष के दौरान, 31 मार्च 2021 तक, मंडल में निम्नलिखित बदलाव हुए-

- श्रीमती टी.के. अनुराधा इसरो/अं.वि. की सेवाओं से सेवानिवृत्ति हुई तथा उन्होंने 30 अप्रैल 2020 को निदेशक के पद का त्याग किया। उनके स्थान पर 22 जून 2020 से श्री आर. उमामहेश्वरन, वैज्ञानिक सचिव, इसरो/अं.वि. को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

मंडल बैठकें

वर्ष के दौरान, तीन मंडल बैठकें आयोजित की गईं, जिनका ब्यौरा कार्पोरेट शासन रिपोर्ट के भाग में उपलब्ध है।

निदेशकों की नियुक्ति तथा परिलब्धियों पर कंपनी की नीति

यह कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसके निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा परिलब्धियों (सी.एम.डी. सहित प्रकार्यात्मक निदेशकों) का निर्धारण अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें नियुक्ति की अवधि तथा अन्य शर्तें एवं निबंधन शामिल होंगे।

सरकारी/इसरो द्वारा मनोनीत निदेशक अंतरिक्ष विभाग द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तथा वे किसी भी प्रकार की परिलब्धियों/ बैठकों में शामिल होने की फीस हेतु हकदार नहीं होंगे।

गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा वे संवैधानिक नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित रहने हेतु फीस के हकदार होंगे।

यह कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशक की नियुक्ति तथा परिलब्धि, जिसमें अर्हता आदि को निर्धारित करने के लिए मानदंड शामिल हैं, पर नीति निर्धारण हेतु आवश्यकता दिनांक 05 जून 2015 के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463 (ई.) के अनुसार होना जरूरी नहीं है।

बोर्ड तथा इसकी समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून 2015 को जारी की गई अधिसूचना सं. 463 (ई.) के अनुसरण में एक सरकारी कंपनी होने के कारण इस कंपनी के कथन, जिसमें बोर्ड द्वारा स्वयं के निष्पादन तथा इसकी समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों का वार्षिक मूल्यांकन जिस प्रकार से किया गया है, उसकी अलग से मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया गया है।

कर्मचारियों की परिलब्धियों का ब्यौरा

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197(12) के तहत विनिर्दिष्ट वर्ग के तहत नहीं आती है। अत:, कर्मचारियों की परिलब्धियों से संबंधित प्रकटन लागू नहीं है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

क) ऊर्जा का संरक्षण: इस कंपनी के प्रचालनों में ऊर्जा की प्रबलता नहीं है।

ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण: इस कंपनी के प्रचालनों में मुख्यत: इसरो/ अं.वि., मूल संगठन/ प्रशासनिक विभाग द्वारा विकसित उत्पादों तथा सेवाओं का विपणन शामिल है।

ग) विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय:

राशि लाख में

विदेशी मुद्रा अर्जन	**विदेशी मुद्रा (यू.एस.डी.)**	**विदेशी मुद्रा (यूरो)**	**भारतीय रुपए का समतुल्य**
प्रमोचन सेवाएं	102.02	99.75	16,044.97
अन्य सेवाएं (वैकल्पिक सेवाएं)	1.73	0.37	157.66
कुल	**103.75**	**100.12**	**16,202.63**
विदेशी मुद्रा व्यय			
तकनीकी सेवाओं की लागत	99.51	0	7,370.47
अन्य भुगतान	-	0.10	8.99
कुल	**99.51**	**0.10**	**7,379.46**

निदेशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसरण में, निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि:

क) वार्षिक लेखा की तैयारी में, वस्तुओं की रवानगी से संबंधित उपयुक्त व्याख्या सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया था तथा उन्हें लगातार लागू किया एवं ऐसे निर्णय तथा आंकलन बनाए, जो तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हो, ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों का न्यायसंगत पक्ष तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ तथा हानि को प्रस्तुत किया जा सके;

ग) इस कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखाकरण रिकॉर्डों के रख-रखाव हेतु उपयुक्त तथा समुचित ध्यान दिया है।

घ) निदेशकों ने बढ़ते हुए महत्व के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया; तथा

ङ) निदेशकों ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियों को तैयार किया तथा यह भी सुनिश्चित किया है कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा वे प्रभावी ढंग से प्रचालन में है।

वार्षिक लाभ का वेबलिंक

20 अगस्त 2020 से प्रभावी कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2017 द्वारा धारा 92(3) का संशोधन किया गया, जिसके द्वारा यह स्पष्ट है कि प्रत्येक कंपनी को कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर वार्षिक लाभ की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी और ऐसे वार्षिक लाभ के वेबलिंक का प्रकटन बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाना होगा।

इसके अनुसार ऐसे वार्षिक लाभ का वेबलिंक निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध है-

https://www.nsilindia.co.in/an

लागत रिकॉर्ड

लागत रिकॉर्ड का अनुरक्षण इस कंपनी के लिए लागू नहीं है।

यह कंपनी कार्पोरेट शासन तथा पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जिम्मेदारी, नियमों, प्रक्रियाओं के अनुपालन एवं नीतिपरक मानकों को पूरा करने पर बहुत बल देती है। यह कंपनी कार्पोरेट शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रही है।

कॉर्पोरेट शासन

कॉर्पोरेट शासन का अर्थ कार्पोरेट निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी को बढ़ाना है। कॉर्पोरेट शासन हितधारकों को संतुष्ट करने तथा विधिक और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए दीर्घकालीन सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से प्रचालन की संरचनात्मकता को तैयार करने तथा संगठन को नियंत्रित करने की प्रणाली है। इसका संबंध कंपनी तथा प्रबंधन के नैतिक सिद्धांतों, मूल्य मानदंडों, आचरण तथा व्यवहार से होता है।

यह कंपनी कॉर्पोरेट शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने हेतु समर्पित है एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट शासन आवश्यकताओं का पालन करती है। डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों के तहत, संलग्न ***कॉर्पोरेट शासन*** पर रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है। मेसर्स बी.आर.के.एस. एवं एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, बेंगलूरु से प्राप्त कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

प्रंबधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

समीक्षाधीन वर्ष के लिए डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों के तहत, प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है तथा इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

सचिवालयीन मानक

यह कंपनी बोर्ड तथा सामान्य बैठकों के संबंध में सचिवालयीन मानकों का अनुपालन कर रही है।

कार्यस्थल में महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की धारा 22 के तहत आवश्यक प्रकटन (रोकथाम, निषेध तथा निवारण)

अंतरिक्ष विभाग (प्रशासनिक मंत्रालय) में 'आंतरिक शिकायत समिति' नामक एक समिति का गठन 10 सितंबर 2020 को किया गया था, जिसमें कंपनी का एक कर्मचारी भी सदस्य है। वर्ष के दौरान, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई।

राजभाषा का कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार, इसरो मु. के राजभाषा अनुभाग के सक्रिय सहयोग से कंपनी में राजभाषा का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी में मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है जिस पर विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर समीक्षा की जाती है। मंडल को चिह्नित तीव्र प्रकार की जोखिमों तथा नियमित रूप से उन्हें कम करने के लिए योजनाओं की सूचना प्रदान की जाती है।

दिनांक 31.03.2021 के बाद का घटनाक्रम

(क) मंडल में बदलाव

1. डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी.वी., निदेशक, सी.बी.पी.ओ. इसरो की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए तथा 31 मई 2021 से कंपनी के इसरो की ओर से नामित निदेशक नहीं रहे।

2. श्री नारायणन जी. इसरो की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए तथा 31 जुलाई 2021 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे।
3. श्री नारायणन जी. की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, 01 अगस्त 2021 से श्री डी. राधाकृष्णन, निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति) को अंतरिम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया।
4. श्री राधाकृष्णन डी. के अंतरिक्ष अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्ति के परिणामस्वरूप, 01 अगस्त 2021 से श्री अरुणाचलम ए., कंपनी के कार्यकारी निदेशक को अंतरिम निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति) के तौर पर नियुक्त किया गया।

यह मंडल कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक के तौर पर क्रमश: श्री नारायणन जी. तथा श्री डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी.वी. द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की प्रशंसा करती है।

श्री नारायणन जी. से 01 अगस्त 2021 को सी.एम.डी. के रूप में कार्यभार लेते हुए श्री राधाकृष्णन डी.

(ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.) की नियुक्ति

इस कंपनी ने श्रीमती के. रेणु, ए.सी.एस.-19758 को 16 अप्रैल 2021 से कंपनी के कंपनी सचिव के तौर पर नियुक्ति की है, जोकि इस कंपनी के के.एम.पी. में से एक होंगी।

(ग) प्राधिकृत तथा प्रदत्त शेयर पूँजी में बढ़ोत्तरी

संघ मंत्रिमंडल ने 25 अगस्त 2021 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी को 100 करोड़ भारतीय रुपए से 1000 करोड़ भारतीय रुपए तक बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

साथ ही, कंपनी के शेयरधारकों ने 24 सितंबर 2021 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक (ई.जी.एम.) में कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी को मौजूदा 100 करोड़ भारतीय रुपए से 1000 करोड़ भारतीय रुपए तक बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। कंपनी को सितंबर 2021 में अं.वि. से 700 करोड़ भारतीय रुपए का इक्विटी अंशदान भी प्राप्त हुआ है।

तदनुसार, वर्तमान में कंपनी की प्राधिकृत पूँजी 1,000,00,00,000 (मात्र एक हजार करोड़ रुपए) भारतीय रुपए है, जिसे प्रत्येक 10/- भारतीय रुपए के 100,00,00,000 इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है तथा कंपनी की मौजूदा कुल जारी तथा प्रदत्त पूँजी 710,00,00,000 (मात्र सात सौ दस करोड़ रुपए) है, जिसे प्रत्येक 10/- भारतीय रुपए पूर्ण प्रदत्त पूँजी के 71,00,00,000 के इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है।

24 सितंबर 2021 को आयोजित असाधारण आम बैठक (ई.जी.एम.)

कोविड-19 का प्रभाव

एनसिल की व्यापार गतिविधियों पर कोविड-19 विश्व महामारी का आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा है। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (पी.एस.एल.वी.) के निर्माण/उत्पादन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध पर कार्रवाई करने से संबंधित गतिविधियों पर लॉकडाउन तथा अं.वि./इसरो के विभिन्न केंद्रों में प्रतिबंधित आवाजाही के कारण देरी हुई। विभिन्न ग्राहकों ने करारों/समझौता, प्रतिभूति जमा, भुगतान करना आदि जैसी संविदागत दायित्वों को पूरा करने में आनेवाली समस्याओं के बारे में बताया।

आभार

यह मंडल इस कंपनी के द्वितीय वर्ष के सफलतापूर्वक प्रचालन के लिए अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) सहित विभिन्न सरकारी विभागों, इसरो, डी.आई.पी.ए.एम., डी.पी.ई. तथा विदेश मंत्रालय से प्राप्त सतत सहायता तथा सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

यह मंडल इस कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों को उनकी सहायता तथा कंपनी के प्रबंधन पर उनके भरोसे के लिए सच्चे दिल से उनकी प्रशंसा करता है तथा भविष्य में इस पारस्परिक सहायतापूर्ण संबंध को बनाए रखने के प्रति आशावान है।

यह मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा मंडल, वैधानिक लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, बैंकरों सहयोगियों तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं तथा सहयोग हेतु भी उनकी प्रशंसा करता है।

यह मंडल कंपनी की प्रगति तथा समृद्धि की दिशा में कंपनी के कार्यकारियों, स्टाफ तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई समर्पित सेवाओं के लिए तहे दिल से सबकी प्रशंसा करता है।

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए
निदेशक बोर्ड की ओर से।

हस्ता/-
राधाकृष्णन डी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 02.12.2021
स्थान : बेंगलूरु

प्रबंधन विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग परिदृश्य

अंतरिक्ष खंड के चार प्रमुख क्षेत्र, उपग्रह निर्माण, प्रमोचन रॉकेट निर्माण एवं प्रमोचन सेवाएं, भू-खंड और अंतरिक्ष आधारित मूल्यवर्धित सेवाएं हैं। राजस्व का लगभग 85 से 90% भू-खंड तथा अंतरिक्ष आधारित मूल्यवर्धित सेवाओं से आता है। अंतरिक्ष उद्योग विश्व भर के निजी उद्योगों, स्टार्टअपों तथा निजी निवेशकों की बढ़ी भागीदारी के साथ रूपांतरणीय विकास तथा अंतरिक्ष उद्योग के बदलते प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य का साक्षी बन रहा है। भू-प्रेक्षण, उपग्रह संचार तथा उपग्रह नौवहन का उपयोग करते हुए सहक्रियाशील अनुप्रयोगों सहित व्यापक अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए मूल्य प्रभावी तथा समयबद्ध उपाय प्रदान करने पर अधिक ध्यान है।

भारत में अंतरिक्ष क्रिया-कलापों में निजी उद्योग तथा अंतरिक्ष स्टार्टअपों की भागीदारी तरक्की पर है तथा अंतरिक्ष उद्योग के सभी चार प्रमुख क्षेत्रों में विकास को तीव्रता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जून 2020 में "अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमता का विस्तार" के भाग के रूप में "अंतरिक्ष सुधार" की घोषणा की।

संगठन संरचना

मार्च 2019 में एनसिल को अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सी.पी.एस.ई.) के रूप में गठित किया गया। फरवरी 2020 में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कंपनी को अनुसूची- 'क' कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया।

वर्तमान में, कंपनी का प्रबंधन निदेशक बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति); सरकार द्वारा नामित निदेशक और इसरो नामित निदेशक शामिल हैं। अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.), प्रशासनिक मंत्रालय ने कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की। कंपनी ने अपने वेतन पत्रक पर कुछ कार्मिकों की भर्ती की। कंपनी के बढ़े अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, यह अपने स्वयं के वेतन पत्रक पर और भी कार्मिकों की भर्ती करने की प्रक्रिया में है।

उत्पाद एवं सेवाएं

भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी अंतरण क्रियावली के जरिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उच्च प्रौद्योगिकी निर्माण बढ़ाने तथा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से लेकर वैश्विक ग्राहकों तक से आने वाले अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं का वाणिज्यिक दोहन करने में समर्थ करने के प्राथमिक अधिदेश के उद्देश्य से कंपनी का गठन किया गया। कंपनी के व्यवसाय का प्रमुख क्षेत्र है - (i) भारतीय उद्योग के जरिए ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन रॉकेट (पी.एस.एल.वी.) का उत्पादन (ii) इसरो प्रमोचन रॉकेटों की ऑनबोर्ड प्रमोचन सेवाएं (iii) प्रयोक्ता आवश्यकता के अनुसार उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोचन (iv) उपग्रह आधारित संप्रेषण, भू-प्रेक्षण सहित अंतरिक्ष आधारित सेवाएं उपलब्ध कराना (v) मिशन सहायता सेवाएं (vi) इसरो केंद्रों तथा अं.वि. के संघटक संस्थाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का अंतरण (vii) स्पिन-ऑफ प्रौद्योगिकियों तथा उत्पादों/सेवाओं का बाजारीकरण।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान व्यवसाय उपलब्धियाँ

"अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमता का विस्तार" के तहत भारत सरकार का अंतरिक्ष सुधार पहल के भाग के रूप में, एनसिल का अधिदेश अत्यधिक बढ़ा है, जिसमें उपग्रहों का स्वामित्व रखना, निर्माण करना, प्रमोचन करना तथा प्रचालन करना; ग्राहकों को समस्त सेवाएं उपलब्ध कराना, "मांग संचालित" तरीके से अंतरिक्ष आधारित मिशन करना शामिल है।

इस पहल के लिए एनसिल ने अपने सभी प्रमुख व्यवसाय क्रियाकलापों में अच्छी बढ़त की है:

- **भारतीय उद्योग के जरिए पी.एस.एल.वी. का उत्पादन**
  - एनसिल के महत्वपूर्ण अधिदेशों में से एक है, भारतीय उद्योग के जरिए प्रमोचन रॉकेटों का निर्माण करना। इस संबंध में, "भारतीय उद्योग" के जरिए 5 पी.एस.एल.वी. के साकारीकरण के लिए एनसिल ने भारतीय उद्योग साझेदारों के लिए प्रस्ताव अनुरोध (आर.एफ.पी.) जारी किया है। भारतीय उद्योग साझेदारों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन चल रहा है।

- **पी.एस.एल.वी. के ऑनबोर्ड प्रमोचन सेवाएं**
  - इस अवधि के दौरान, एनसिल ने पी.एस.एल.वी.-सी.49 तथा पी.एस.एल.वी.-सी.51 मिशनों के ऑनबोर्ड कुल 24 ग्राहक उपग्रहों का प्रमोचन किया।
  - 7 नवंबर 2020 को पी.एस.एल.वी.-सी.49 के ऑनबोर्ड नौ ग्राहक उपग्रहों का प्रमोचन किया गया।
  - फरवरी 2021 के दौरान, एनसिल ने प्रथम समर्पित वाणिज्यिक प्रमोचन सेवा मिशन को सफलतापूर्वक शुरू किया तथा पी.एस.एल.वी.-सी.51 के ऑनबोर्ड आई.एन.पी.ई., ब्राजील के अमेजोनिया-1 उपग्रह का प्रमोचन किया। अमेजोनिया-1 मिशन में एनसिल ने प्रथम वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत साझा सवारी के रूप में 14 सहयात्री उपग्रहों का भी प्रमोचन किया।
  - अब तक एनसिल वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के तहत कुल 46 अंतरराष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों का प्रमोचन कर चुका है।
  - इसके अतिरिक्त, एनसिल अंतरराष्ट्रीय उपग्रह ग्राहकों के लिए चार पी.एस.एल.वी. समर्पित प्रमोचन सेवा समझौतों पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर कर चुका है।

- **सैटकॉम सेवाएं**
  - डी.टी.एच., वीसैट, टी.वी., डी.एस.एन.जी. जैसी विभिन्न अनुप्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, एनसिल सैटकॉम सेवाओं के एक भाग के रूप में इनसैट/जीसैट के ऑनबोर्ड सी., एक्सटेंशन सी., के.यू. तथा के.ए. बैंड में प्रेषानुकरों का प्रबंध कर रहा है। इसके अतिरिक्त, एनसिल एक के बाद एक व्यवस्था आधार पर भारतीय प्रयोक्ताओं को विदेशी उपग्रहों से प्रेषानुकर क्षमता का भी प्रबंध कर रहा है। 150 से अधिक समझौतों/समझौता ज्ञापनों के तहत, इन प्रेषानुकर क्षमताओं का निजी/सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्र से विभिन्न प्रयोक्ताओं के लिए प्रबंध किया गया।
  - एनसिल निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जीसैट-11, जीसैट-19 तथा जीसैट-29 नामक विभिन्न इनसेट/जीसैट उपग्रहों पर एच.टी.एस. क्षमता के वाणिज्यीकरण की प्रकिया में है।

- **मांग संचालित मॉडल पर उपग्रहों का स्वामित्व तथा प्रचालन**
  - एनसिल ने डी.टी.एच. प्रचालक के प्रमोचन तथा संपूर्ण अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक भारतीय डी.टी.एच. प्रचालक हेतु एक के.यू. बैंड संचार उपग्रह को साकार करने के लिए यह क्रियाकलाप शुरू किया है। इसरो के जरिए एनसिल इस उपग्रह का निर्माण करेगा, इसका प्रमोचन कराएगा, इसका स्वामित्व रखेगा तथा प्रचालन करेगा। यह एनसिल का पहला मांग संचालित मिशन होगा।
  - इसके अतिरिक्त भारतीय ग्राहकों के लिए दो और संचार उपग्रह जैसे डी.टी.एच. प्रचालक के लिए के.यू. बैंड संचार उपग्रह तथा ब्रॉड-बैंड संचार आवश्यकताओं के लिए एच.टी.एस. संचार उपग्रह के निर्माण कार्य पर भी वार्ता चल रही है।

- **ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार उपग्रह निर्माण**
  - इसरो की विशेषज्ञता तथा अवसंरचना का उपयोग कर एनसिल ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार उपग्रह निर्माण में कदम रखने का इच्छुक है। इसके लिए एनसिल ने भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को टेक्नो-वाणिज्यिक प्रस्ताव दिए हैं, जिसमें शामिल हैं - (i) संचार उपग्रह तथा भू-प्रेक्षण उपग्रहों का निर्माण (ii) उपग्रह बस प्लेटफार्म उपलब्ध कराना (iii) प्रमोचन सेवाएं उपलब्ध कराना (iv) भू-खंड स्थापित करना (v) क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

- **मिशन सहायता सेवाएं**
  - उपग्रह तथा प्रमोचक रॉकेट अनुवर्तन के लिए मिशन सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एनसिल वैश्विक स्टेशन प्रचालकों तथा उपग्रह स्वामियों के साथ मिलजुल कर कार्य रहा है।
  - फरवरी-मार्च 2021 के दौरान एनसिल आई.एन.पी.ई., ब्राजील के अमेजोनिया-1 मिशन को प्रमोचन तथा प्रारंभिक कक्षा चरण (एल.ई.ओ.पी.) सहायता उपलब्ध करा चुका है। एनसिल जून-जुलाई 2021 के दौरान एक अंतरराष्ट्रीय ग्राहक के प्रमोचक रॉकेट लिए प्रमोचक रॉकेट अनुवर्तन सहायत तथा फरवरी-मार्च 2021 के दौरान एक भारतीय ग्राहक हेतु एल.ई.ओ.पी. सहायता भी उपलब्ध करा चुका है।

- **प्रौद्योगिकी अंतरण/स्पिन ऑफ**
  - एनसिल को अंतरिक्ष क्षेत्र में हित धारकों के वृहत लाभ के लिए इसरो/अं.वि. के केंद्रों/यूनिटों के अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों से आने वाली प्रौद्योगिकियों का भारतीय उद्योगों को अंतरण का अधिदेश दिया गया है। इस अवधि के दौरान एनसिल ने इसरो द्वारा विकसित 8 प्रौद्योगिकियों का भारतीय उद्योग को अंतरण के लिए 15 प्रौद्योगिकी अंतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
  - वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एनसिल ने वाणिज्यिक आधार पर प्रयोक्ता आवश्यकताओं के अनुसार ए.एस.आई.सी.एस. तथा प्रणालियों/उप-प्रणालियों के विकास तथा आपूर्ति के लिए एस.सी.एल. की सेवाओं का उपयोग करने हेतु सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, चंडीगढ़ (अं.वि. की एक इकाई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। उसी अनुसार, एनसिल भारतीय लोकोमोटिव निर्माताओं की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें ए.एस.आई.सी.एस. की आपूर्ति कर रहा है तथा भारतीय ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित प्रणालियों की आपूर्ति की प्रक्रिया में है।

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल) द्वारा मीडिया को अपने क्रियाकलापों तथा उपलब्धियों के बारे में सूचित करने के लिए 12 मार्च 2021 को अंतरिक्ष भवन, इसरो मुख्यालय, बेंगलूरु में एक प्रेस बैठक का आयोजन किया गया। इस उत्तम रूप से आयोजित बैठक में श्री जी नारायणन, सी.एम.डी., एनसिल तथा श्री राधाकृष्णन डी., निदेशक, तकनीकी तथा कार्यनीति, एनसिल ने क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया के साथ विचार-विमर्श किया।

एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण

प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने तथा बाजार में कंपनी के उत्पादों तथा सेवाओं को स्थापित करने के लिए व्यवसाय नीति बनाने हेतु उद्योग परिदृश्य तथा उभरते रूझानों को समझने के लिए कंपनी के लिए एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण किया तथा व्यवसाय प्रचालनों की योजना बनाने और सामरिक नीति तैयार करने के लिए इसने विश्लेषण के परिणामों पर विचार किया।

उत्पाद-वार निष्पादन

(भारतीय रुपये लाख में)

व्यवसाय खंड	निर्यात	घरेलू	कुल
प्रमोचन सेवाएं	**26,822.79**	**16,443.75**	**43,266.54**
मिशन सहायता सेवाएं			
अंतरिक्ष खंड संचार (प्रेषानुकर पट्टा)			
उत्पादों की बिक्री			
प्रौद्योगिकी अंतरण			

भावी संभावना

अपने बढ़े अधिदेश तथा बढ़ी स्वायत्ता के साथ कंपनी उपग्रह निर्माण, प्रमोचन, स्वामित्व तथा प्रचालन के लिए तथा ग्राहकों को प्रभावी ढ़ंग से शुरू से अंत तक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। यह भारतीय उद्योग के जरिए इसरो की सभी प्रचालनात्मक प्रमोचक रॉकेटों का भी निर्माण करेगी तथा बाद में उनका स्वमित्व रखेगी। कंपनी प्रभावी भारतीय अंतरिक्ष वातावरण का निर्माण करने के लिए इसरो की प्रौद्योगिकी को उद्योगों को अंतरित करने की क्रियावली पर भी कार्य कर रही है।

चुनौतियों से निपटने के उपाय

कंपनी ने जिस व्यवसाय को प्रारंभ किया है, उस क्षेत्र के जोखिमों को समझती है और वह जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी। कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय से परामर्श कर जोखिमों और चुनौतियों का सामना करने के उपाय करेगी।

वित्तीय निष्पादन

वित्तीय निष्पादन निदेशकों की रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

मानव संसाधन विकास

कंपनी के प्रचालनों का प्रबंधन अं.वि./इसरो से प्रतिनियुक्त अनुभवी तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने स्वयं के वेतन पत्रक पर कुछ कार्मिकों की भर्ती की। कंपनी के बढ़े अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अपने वेतन पत्रक पर और कार्मिकों को भर्ती करने की प्रक्रिया में है।

पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण

चूँकि कंपनी न किसी निर्माण सुविधा का स्वामित्व रखती एवं प्रचालन करती है, ना ही इसके प्रचालनों में पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कोई क्रियाकलाप शामिल हैं, अत:, कंपनी किसी पर्यावरणीय/संरक्षण मामलों को उत्पन्न नहीं करती।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

सिद्धांत

कंपनी की परिभाषा के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन का सिद्धांत वह है, जो सशक्त मौलिकताओं के साथ दीर्घ-कालिक संधारणीयता पर प्रकाश डालता है। कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके हितधारकों तथा अन्य हितधारकों के बीच के संबंधों का समुच्चय कॉर्पोरेट प्रशासन में शामिल होता है। यह एक सैद्धांतिक प्रक्रिया तथा संरचना उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से कंपनी के उद्देश्य, उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन तथा निष्पादन मॉनीटरन की प्रणालियाँ भी स्थापित की जाती हैं।

कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन, पारदर्शिता के सिद्धांतों, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, नियम अनुपालन, प्राविधियों तथा नैतिक मानकों की पूर्ति आदि को बनाए रखने पर अधिक बल देती है। कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्पोरेट प्रशासन पर बोर्ड अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

निदेशक बोर्ड

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 58(3) में निम्नलिखित बोर्ड संरचना का प्रावधान है:

(क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ख) निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)

(ग) निदेशक - वित्त

(घ) दो सरकारी निदेशक

(ड.) दो इसरो नामित निदेशक

(च) तीन स्वतंत्र निदेशक

31.03.2021 को निदेशक बोर्ड का संघटन निम्नलिखित है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक की प्रकृति	कार्यालय ग्रहण करने की तिथि
1	श्री नारायणन जी.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यकारी	30.01.2020
2	श्री राधाकृष्णन डी.	निदेशक (तकनीकी एवं सामरिक)	कार्यकारी	06.03.2019
3	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, अं.वि.	निदेशक (सरकार द्वारा नामित)	अकार्यकारी नामित निदेशक	16.03.2020
4	श्री उमामहेश्वरन आर., वैज्ञानिक सचिव (अं.वि.)	निदेशक (इसरो द्वारा नामित)	अकार्यकारी नामित निदेशक	22.06.2020
5	डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी.वी., निदेशक, सी.बी.पी.ओ., इसरो	निदेशक (इसरो नामित)	अकार्यकारी नामित निदेशक	16.03.2020

वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति तथा समाप्ति

वर्ष के दौरान बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए -

श्रीमती टी.के. अनुराधा इसरो/अं.वि. की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुई तथा 30 अप्रैल 2020 को कंपनी में इसरो नामित निदेशक के पद से पदमुक्त हुई तथा उनके स्थान पर 22 जून 2020 को श्री आर. उमामहेश्वरन, वैज्ञानिक सचिव, इसरो/अं.वि. इसरो नामित निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।

बैठकें

वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड ने दिनांक 22.06.2020, 08.10.2020 तथा 29.01.2021 को तीन बैठकें की।

भारत सरकार ने मार्च 2020 से जून 2020 तक कोविड-19 के शुरुआती दिनों के दौरान सख्त लॉकडाऊन लागू किया तथा दिनांक 24 मार्च 2020 के अपने सामान्य परिपत्र सं. 11/2020 के जरिए कार्पोरेट मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 173 के अनुसार 120 दिनों के स्थान पर अधिकतम 180 दिनों के अंतराल पर कंपनी को बोर्ड बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी।

चूँकि संपूर्ण लॉकडाऊन पूरे विश्व में अपने प्रकार की पहली पहल थी, अत: कंपनी वर्चुअल बैठकें आयोजित करने की योजना नहीं बना सकी। उसी अनुरूप, वर्ष 2020-21 के दौरान केवल तीन बोर्ड बैठकें आयोजित की जा सकीं।

बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित अंतिम ए.जी.एम. का विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकें, जिनमें उपस्थित हुए	अंतिम ए.जी.एम. में उपस्थिति हाँ/नहीं
1	श्री नारायणन जी.	01.04.2020-31.03.2021	3	3	हाँ
2	श्री राधाकृष्णन डी.	01.04.2020-31.03.2021	3	3	हाँ
3	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, अं.वि.	01.04.2020-31.03.2021	3	3	हाँ
4	श्री उमामहेश्वरन आर., वैज्ञानिक सचिव (अं.वि.)	22.06.2020*-31.03.2021	2	1	हाँ
5	डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी.वी., निदेशक, सी.बी.पी.ओ., इसरो	01.04.2020-31.03.2021	3	3	हाँ

**नियुक्ति की तिथि*

अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) ने आवश्यकतानुसार अन्य निदेशकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की है।

बोर्ड की समितियां

बोर्ड ने डी.एफ.ई. की आवश्यकताओं/निर्देशों, कंपनी अधिनियम 2013 तथा अन्य उपयुक्त कानूनों की अनुरूपता के साथ निम्नलिखित निदेशक समितियों का गठन किया है। यह समितियां उनके कार्यक्षेत्र तथा अनुबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार समाहित होने वाले क्रियाकलापों के लिए विशिष्ट एवं केंद्रित शासन प्रदान करती हैं।

क्र.सं.	समिति का नाम
1	लेखा-परीक्षा समिति
2	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीय विकास समिति
3	पारिश्रमिक समिति

लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड ने दिनांक 22 जून 2020 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में लेखा-परीक्षा समिति का गठन किया। इस समिति का गठन दिनांक 31 मार्च 2021 से निम्नवत है:

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, आई.ए.एस. - अध्यक्ष
डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी. वी. - सदस्य
श्री राधाकृष्णन डी. - सदस्य
कंपनी सचिव - सचिव

चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी की जानी है, इसलिए समिति का गठन नामित निदेशकों तथा एक पूर्णकालिक निदेशक के साथ हुआ है। महा प्रबंधक/वित्त विभाग के प्रधान स्थायी आमंत्रिति हैं।

डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी.वी. तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की सेवानिवृत्ति के पश्चात दिनांक 13.08.2021 को से निम्नलिखित सदस्यों के साथ लेखा-परीक्षा समिति का पुनर्गठन हुआ है:

(क) श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा - अध्यक्ष
(ख) श्री उमामहेश्वरन आर. - सदस्य
(ग) श्री अरुणाचलम ए. - सदस्य

बैठकें

वर्ष 2020-21 के दौरान, लेखा-परीक्षा समिति की दिनांक 08.10.20, 22.12.20 तथा 29.01.2021 को तीन बार बैठकें हुईं।

लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, आई.ए.एस.	अध्यक्ष	01.04.2020-31.03.2021	3	3
2	डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी. वी.	सदस्य	01.04.2020-31.03.2021	3	3
3	श्री राधाकृष्णन डी.	सदस्य	01.04.2020-31.03.2021	3	3

कार्यक्षेत्र

लेखा-परीक्षा समिति कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम 2013 के उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार तथा समय-समय पर संशोधित डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

पारिश्रमिक समिति

बोर्ड ने दिनांक 22 जून 2020 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति का गठन किया। इस समिति का गठन दिनांक 31 मार्च 2021 के अनुसार निम्नवत है:

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, आई.ए.एस. – अध्यक्ष
डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी. वी. – सदस्य
श्री उमामहेश्वरन आर. – सदस्य
कंपनी सचिव – सचिव

चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी की जानी है, इसलिए समिति का गठन नामित निदेशकों के साथ हुआ है।

डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी.वी. के कार्यकाल की समाप्ति के बाद समिति निम्नानुसार है:

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, आई.ए.एस. – अध्यक्ष
श्री उमामहेश्वरन आर. – सदस्य
कंपनी सचिव – सचिव

कार्यक्षेत्र

इस समिति का गठन निर्धारित सीमाओं के भीतर संपूर्ण कार्यकारियों तथा गैर-संघीय पर्यवेक्षकों में वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल तथा नीति के वितरण पर निर्णय लेने के लिए किया गया है।

बैठकें

चूंकि, वित्तीय निष्पादन तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्यों के संबंधित निर्धारण के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के साथ किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, इसलिए बोनस तथा परिवर्तनीय वेतन पर चर्चा करने योग्य मामले नहीं हैं और तदनुसार उस वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की बैठकें आयोजित नहीं हुईं।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीय विकास (सी.एस.आर. एवं एस.डी.) समिति

बोर्ड ने दिनांक 21 सितंबर 2020 के परिपत्र संकल्प द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीय विकास (सी.एस.आर. एवं एस.डी.) समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन दिनांक 31 मार्च 2021 से निम्नवत है:

डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी. वी.	-	अध्यक्ष
श्री उमामहेश्वरन आर.	-	सदस्य
श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा	-	सदस्य
श्री राधाकृष्णन डी.	-	सदस्य
कंपनी सचिव	-	समिति सचिव

चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी की जानी है, इस समिति का गठन नामित निदेशकों के साथ हुआ है।

डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी.वी. की सेवानिवृत्ति के पश्चात्, दिनांक 13.08.2021 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ सी.एस.आर. एवं एस.डी. समिति का पुनर्गठन हुआ है:

(क) श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा	-	अध्यक्ष
(ख) श्री उमामहेश्वरन आर.	-	सदस्य
(ग) श्री अरुणाचलम ए.	-	सदस्य

कार्यक्षेत्र

इस समिति का कार्यक्षेत्र डी.पी.ई. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों कंपनी अधिनियम 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित सी.एस.आर. एवं एस.डी. कंपनी नीति के अनुरूप सी.एस.आर. एवं एस.डी. क्रियाकलाप निष्पादित किए जाते हैं।

बैठकें

वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 08.10.20, 22.12.20 तथा 29.01.2021 को तीन बार सी.एस.आर. एवं एस.डी. समिति की बैठकें हुईं।

सी.एस.आर. एवं एस.डी. समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी. वी.	अध्यक्ष	01.04.2020-31.03.2021	3	3
2	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा	सदस्य	01.04.2020-31.03.2021	3	3
3	श्री राधाकृष्णन डी.	सदस्य	01.04.2020-31.03.2021	3	3
4	श्री उमामहेश्वरन आर.	सदस्य	22.06.2020*-31.03.2021	3	1

**नियुक्ति की तिथि*

निदेशकों के लिए पारिश्रमिक

वर्ष 2021-21 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिकों का विवरण वार्षिक विवरणी में दिया गया है तथा उसकी प्रति कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

आचार संहिता

निदेशक मंडल ने दिनांक 22 जून 2020 को आयोजित 7वीं बैठक में कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता अनुमोदित की है।

सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

डी.पी.टी. दिशा-निर्देशों की आवश्यकतानुसार सभी बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के लिए अभिपुष्टि हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है तथा उस प्रभाव की घोषणा इस रिपोर्ट में संलग्न की गई है और उसे बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है।

शेयर धारण प्रतिमान

यह कंपनी भारत में अथवा विदेश के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। इस कंपनी के नामितों के माध्यम से संपूर्ण भुगतान की हुई इक्विटी शेयर पूंजी पर भारत के राष्ट्रपति का स्वामित्व रहता है।

आम बैठकें

इस कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक दिनांक 29 दिसंबर 2020 को इसरो मुख्यालय में आयोजित हुई।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इस कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक

दिन एवं दिनांक : शुक्रवार, 24.12.2021 को की गई

समय : 11:00 बजे

स्थल : इसरो मुख्यालय

न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु - 560094

दूरभाष : (080) 2217 2698, फैक्स: (080) 2351 7222

ई-मेल: renu-nsil@isro.gov.in

वेबसाइट: www.nsilindia.co.in

प्रकटीकरण

क) **संबंधित पार्टी के लेन-देन** लेखा के नोट सं.8 में प्रस्तुत किये गये हैं। कंपनी के पास कोई भी भौतिक रूप से महत्व से संबंधित पार्टी के लेन-देन नहीं हैं, जिनका इसके हितों से टकराव हो सकता हो।

ख) **लेखाकरण मानक**: यह कंपनी उपयुक्त लेखाकरण मानकों (ए.एस.) का अनुपालन करती है।

ग) **निदेशकों का प्रशिक्षण**: वर्तमान में बोर्ड सदस्य इसरो/अं.वि. से हैं, जो अंतरिक्ष आधारित उत्पादों एवं सेवाओं तथा कंपनी को गतिशील बनाने हेतु प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक पहलुओं में निपुण हैं। बोर्ड ने दिनांक 22 जून 2020 को आयोजित अपनी 7वीं बोर्ड बैठक में निदेशकों के प्रशिक्षण नीति पर अनुमोदन दिया।

घ) **सूचना प्रदाता नीति**: यह कंपनी अपनी स्वयं की सूचना प्रदाता नीति के निर्माण पर कार्य कर रही है।

ङ) **सूचना का अधिकार**

कंपनी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी (ए.पी.आई.ओ.), केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) तथा अपीलीय अधिकारी को पदनामित किया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 31.03.2021 तक आर.टी.आई. अधिनियम के तहत दो आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से दो आवेदनों के उत्तर दिए गए हैं।

च) **लोक शिकायतों का निवारण**

शिकायतों के समाधान को पारदर्शक एवं समयबद्ध रूप से सुसाध्य करने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधार एवं लोक-शिकायत विभाग, भारत सरकार ने www.pgportal.gov.in. पर वेब आधारित मॉनीटरन प्रणाली को शुरू किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने इस संबंध में कोई भी पत्र प्राप्त नहीं किए हैं।

छ) **राष्ट्रपति जी के दिशा-निर्देश**:

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिकों के आरक्षणों से संबंधित राष्ट्रपति जी के सभी दिशा-निर्देशों का इस कंपनी द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

ज) **खाता-बही के नामे व्यय की गईं मदें, जो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं**:

खाता-बही के नामे, व्यापार अथवा आकस्मिकता से सीधे संबंधित व्यय के अलावा, अपने कर्मचारियों/पूर्व-कर्मचारियों के कल्याण हेतु व्यय के अलावा किसी भी मद पर व्यय नहीं किया गया।

झ) **उपगत व्यय, जो वैयक्तिक प्रकृति के हैं तथा निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए उपगत किए गए हैं**:

निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए उपगत व्यय, ये वेतन, भत्तों, अनुलब्धियों, कंपनी के नियमों के तहत अनुमति प्राप्त लाभों के रूप में हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए वैयक्तिक रूप के अन्य व्यय उपगत नहीं किए गए।

ञ) **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास (सी.एस.आर. एवं एस.डी.)**

कंपनी की सी.एस.डी. एवं एस.डी. क्रियाकलापों की रिपोर्ट में निदेशक की रिपोर्ट का भाग भी शामिल है।

ट) **संचार के माध्यम**

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को सदस्यों तथा इसे प्राप्त करने वाले अन्य पात्र प्राप्तकर्ताओं में परिचालित कर दिया गया है। इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है। कंपनी की वेबसाइट में सभी कार्यालयीन समाचारों के प्रकाशन भी होते हैं।

ठ) **अनुपालन**

इस कंपनी ने लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सी.पी.एस.ई. के कॉर्पोरेट शासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है। यह कंपनी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है।

कंपनी सचिव द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन पर नीति अनुपालन प्रमाण पत्र/डी.पी.ई. दिशा-निर्देश भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डी.पी.ई. के दिशा-निर्देश के 4.5 खंड के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) का प्रमाणीकरण

सेवा में,

निदेशक मंडल

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड

1. हमने, जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों तथा नकद प्रवाह विवरणी की समीक्षा कर ली है।

   i. इन विवरणियों में भौतिक रूप से कोई भी गलत विवरण या किसी तथ्य का लोप अथवा ऐसे विवरण शामिल नहीं हैं, जो भ्रामक हो सकते हैं।

   ii. ये विवरण संयुक्त रूप से कंपनी के क्रियाकलापों के सही एवं स्वच्छ दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं और वे विद्यमान लेखाकरण मानकों, उपयुक्त कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन में हैं।

2. हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं हुई है, जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों।

3. हम स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर लिया है।

4. हमने लेखा परीक्षकों को निम्नवत इंगित किए हैं:

   i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हैं;

   ii. लेखाकरण मानकों (ए.एस.) के साथ अनुपालन के लिए लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं;

   iii. धोखेबाजी की कोई विशेष घटनाएं नहीं हैं, जिनसे हम अवगत हैं।

हस्ता/-

दिनांक : 13.08.2021
स्थान : बेंगलूरु

(राधाकृष्णन डी.)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की आचार संहिता का अनुपालन करने के लिए बोर्ड के सभी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने स्वीकृति दी है।

हस्ता/-

दिनांक : 13.08.2021
स्थान : बेंगलूरु

(राधाकृष्णन डी.)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनुपालन प्रमाण-पत्र

कॉर्पोरेट पहचान सं. : U74999KA2019GOI122175

प्राधिकृत पूँजी : INR 100,00,00,000

सेवा में,
सदस्यगण
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
बेंगलूरु

हमने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) दिशा-निर्देशों 2010 में उल्लेखित कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने के उद्देश्य के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सभी सुसंगत रिकॉर्डों की जाँच की है। यह प्रमाणित करने के उद्देश्य हेतु हमने आवश्यकता अनुसार सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी उत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार है।

कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी।

प्रस्तुत रिकॉर्डों तथा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण एवं सूचना के अनुसार हमारी जाँच के आधार पर निम्नलिखित प्रेक्षणों सहित, हम यह प्रमाणित करते हैं कि इस कंपनी ने रिकॉर्डों का उपयुक्त रखरखाव किया है और 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट शासन पर डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों 2010 में उल्लेखित कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

क. न्यूनतम 4 मंडल बैठकों का आयोजन नहीं किया गया है

ख. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है

ग. सूचना प्रदाता नीति को कार्यान्वित नहीं किया गया है

दिनांक : 31.08.2021
स्थान : बेंगलूरु

कृते बी.आर.के.एस. एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(बी. राजेश्वर राव)
साझेदार

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सी.एस.आर. एवं एस.डी. क्रिया-कलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **वर्ष 2020-21 के दौरान निष्पादित परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के अवलोकन सहित, कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी एवं संवहनीयता (सी.एस.आर. एवं एस.डी.) की संक्षिप्त रूपरेखा।**

एनसिल समग्र विकास में विश्वास रखता है तथा यदि सभी हितधारकों का ध्यान रखा गया है, तो यह व्यापार जोखिमों तथा प्रगति को संभाल सकता है। तदनुसार, यह अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संवहनीय विकास (सी.एस.आर. एवं एस.डी.) पहलों के माध्यम से समाज के सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय खुशहाली का ध्यान रखता है। सी.एस.आर. एवं एस.डी. परियोजनाओं के लक्ष्य हैं: (i) सी.एस.आर. के सिद्धांतों के साथ कंपनी के महत्वपूर्ण मूल्यों को समेकित करना; (ii) पारदर्शी तथा नैतिक ढंग से सी.एस.आर. एवं एस.डी. क्रियाकलापों को निष्पादित करना; (iii) सभी स्तरों के कर्मचारियों में सी.एस.आर. एवं एस.डी. की भावना को जगाना।

एनसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में सी.एस.आर. एवं एस.डी. नीति का कार्यान्वयन भले ही प्रथम बार किया हो, इसने कौशल विकास, शिक्षा, सफाई जैसे विभिन्न क्रियाकलापों का निष्पादन किया तथा दिव्यांगों की सहायता की। इन कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का कार्यान्वयन गैर-सरकारी संगठनों, सी.पी.एस.यू. तथा सरकारी संगठनों के माध्यम से किया गया।

यह सभी निष्पादित कार्यक्रम कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची VII के कार्यढ़ाँचे के तहत किए गए हैं तथा इस हेतु डी.पी.ई. के दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी किया गया है। एनसिल द्वारा निष्पादित क्रियाकलापों का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

कंपनी की सी.एस.आर. नीति का वेब लिंक है www.nsilindia.co.in/csr

2. **सी.एस.आर. समिति की संरचना**:

सी.एस.आर. एवं एस.डी. क्रियाकलापों के कार्यान्वयन की सिफारिश तथा देख-रेख हेतु कंपनी में एक मंडल स्तरीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास समिति है। 31 मार्च 2021 तक इस समिति के सदस्य थे:

(क)	डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी.वी.	- अध्यक्ष
(ख)	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा	- सदस्य
(ग)	श्री उमामहेश्वरन आर.	- सदस्य
(घ)	श्री राधाकृष्णन दुरईराज	- सदस्य

डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी.वी. की सेवानिवृत्त के बाद, दिनांक 13.08.2021 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ सी.एस.आर. एवं एस.डी. समिति का पुनर्गठन किया गया-

(क)	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा	- अध्यक्ष
(ख)	श्री उमामहेश्वरन आर.	- सदस्य
(ग)	श्री अरुणाचलम ए.	- सदस्य

तदनुसार, यह रिपोर्ट अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ सी.एस.आर. एवं एस.डी. समिति के नए अध्यक्ष श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित है।

3. **कंपनी का औसत निवल लाभ**:

चूँकि इस कंपनी ने अपनी वाणिज्यिक क्रियाकलापों की शुरुआत वित्त वर्ष 2019-20 में ही की है, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अधिदेशित सी.एस.आर. एवं एस.डी. निधि आबंटन को प्राप्त करने हेतु उस वर्ष के निवल लाभ पर विचार किया गया।

रुपये लाख में

वर्ष	निवल लाभ/ (हानि)
2019-20	6,857.01

4. **वित्त वर्ष के दौरान किए गए सी.एस.आर. एवं एस.डी. खर्च का विवरण**:

क) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए खर्च किए गए सी.एस.आर. एवं एस.डी. का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**ब्यौरा**	**राशि (भारतीय रुपये लाख में)**
1	वर्ष की शुरुआत में कंपनी द्वारा खर्च किए जाने हेतु अग्रनीत राशि	शून्य
2	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए खर्च की जाने वाली राशि	138.00
3	सी.एस.आर. के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	138.00
4	कुल प्रतिबद्ध राशि	104.67
5	खर्च की गई कुल राशि	38.10
6	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(6) के अनुसार अलग बैंक खाते में रखी गई अव्ययित प्रतिबद्ध राशि	66.57
7	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार कंपनी अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध की गई निधि में जमा की जाने वाली राशि	33.33

क) वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई/प्रतिबद्ध राशि का ब्यौरा परिशिष्ट-1 में है।

ख) डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एनसिल मौजूदा परियोजनाओं के लिए आबंटित निधि को एक अलग बैंक खाते में रख रहा है।

ग) चूँकि एनसिल के सी.एस.आर. एवं एस.डी. क्रियाकलापों का यह प्रथम वर्ष है, 33.33 लाख भारतीय रुपये तक की अप्रतिबद्धित सी.एस.आर. निधि उपलब्ध है। निर्धारित नियत दिनांकों के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध निधि(यों) में उसे जमा किया जाएगा।

घ) सी.एस.आर. नीति का कार्यान्वयन तथा मॉनीटरन कंपनी के सी.एस.आर. एवं एस.डी. लक्ष्यों के अनुपालन के अनुसार है।

हस्ता/-
राधाकृष्णन डी.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
संध्या वेणुगोपाल शर्मा
अध्यक्ष, सी.एस.आर. एवं एस.डी. समिति

दिनांक : 02.09.2021
स्थान : बेंगलूरु

परिशिष्ट-1

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड

वित्त वर्ष 2020-21 में खर्च की गई सी.एस.आर. परिव्यय राशि के लिए परियोजना तथा शीर्ष (भारतीय रुपये लाख में)

क्र. सं.	सी.एस.आर. परियोजना अथवा क्रियाकलाप	क्षेत्र या परियोजना	परियोजना/ कार्यक्रम का स्थान	परिव्यय राशि (बजट)	वर्ष के लिए सी.एस.आर. व्यय (राशि भारतीय रुपये में)			क्रियान्वयन का तरीका: सीधा या एजेंसी
					खर्च की गई राशि	लंबित प्रतिबद्धता	कुल	
1	सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि	सामाजिक कल्याण	संपूर्ण भारत	5,00,000	5,00,000	-	5,00,000	एजेंसी: रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
2	संस्कृति निधि	राष्ट्रीय विरासत	संपूर्ण भारत	5,00,000	5,00,000	-	5,00,000	एजेंसी: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
3	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	कौशल विकास	बेंगलूरु, कर्नाटक	10,00,000	5,51,306	4,48,694	10,00,000	एजेंसी: राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एन.एस.टी.आई.), भारत सरकार
4	मनोनमणियम सुदंरनार विश्वविद्यालय महाविद्यालय के लिए काष्ठ के डेस्क, बेंच, टेबलों की आपूर्ति	शिक्षा	तिरुनेलवेल्ली जिला, तमिलनाडु	7,00,000	3,50,000	3,50,000	7,00,000	एजेंसी: आई.पी.आर.सी./ इसरो
5	रानी अन्ना सरकारी महिला महाविद्यालय को काष्ठ के डेस्कों एवं बेंचों की 50 सेटों की आपूर्ति	शिक्षा	तिरुनेलवेल्ली जिला, तमिलनाडु	6,00,000	3,00,000	3,00,000	6,00,000	एजेंसी: आई.पी.आर.सी./ इसरो
6	चल्लकेरे सरकारी अस्पताल में समुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	चित्रदुर्गा जिला, कर्नाटक	36,66,641	7,33,328	29,33,313	36,66,641	एजेंसी: सुलभ अंतरराष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एन.जी.ओ.
7	तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में दिव्यांग व्यक्तियों को यंत्र एवं उपकरण का वितरण	समाज कल्याण	तिरुवल्लुवर जिला, तमिलनाडु	35,00,000	8,75,000	2625000	3500000	एजेंसी: अलिमको, सी.पी.एस.यू.
कुल				**1,04,66,641**	**38,09,634**	**66,57,007**	**1,04,66,641**	

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल) द्वारा सी.एस.आर. एवं एस.डी. क्रियाकलापों के तहत वित्त पोषित चित्रदुर्गा जिले के चल्लकेरे स्थित सरकारी अस्पताल में अत्याधुनिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु 07.07.2021 को भूमि पूजन किया गया।

इस अवसर पर:

माननीय विधानसभा सदस्य श्री रघुमूर्ति टी (माननीय विधान सभा सदस्य, चल्लकेरे चुनाव क्षेत्र), श्री नारायणन जी. (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी.एम.डी.), न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल), बेंगलूरु, डॉ. वेंकटेश (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), चल्लकेरे सरकारी अस्पताल, श्री विश्वनाथ एम. (मानद नियंत्रक) सुलभ अंतरराष्ट्रीय समाज सेवी संगठन, बेंगलूरु, श्री अलगेसन जी. (मुख्य प्रबंधक-वित्त), न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल), बेंगलूरु तथा श्रीमती जयलक्ष्मी कृष्णमूर्ति (अध्यक्ष, सी.एम. सी., चल्लकेरे) तथा सुलभ एवं अस्पताल के अधिकारीगण उपस्थित थे।

Chartered Accountants
24, 4th Main Road,
Malleswaram,
Bengaluru - 560 003.
INDIA

Tel : +91 - 80 - 23348805
Mob. : +91 98440 56359
E-mail: shanbhogue_k_r@yahoo.com

PAL & SHANBHOGUE

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलूरु के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सह वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया, जिसमें 31 मार्च 2021 तक का शेष राशि पत्र, लाभ-हानि का विवरण, तब समाप्त हुए वर्ष के नकद प्रवाह का विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य विवरणात्मक सूचनाओं के सार सहित (अब से "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) वित्तीय विवरणों के लिए नोट शामिल हैं।

राय

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त सूचना और विवरण के अनुसार, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा नियमों के अनुसरण में, सह वित्तीय विवरण 31 मार्च 2021 तक के कंपनी के मामलों की स्थिति, 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए इसके लाभ तथा उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही और उचित आकलन प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने अपना लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक (एस.ए.) के अनुसार निष्पादित किया। उन मानकों के तहत, हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के दायित्व खंड में बताए गए हैं। भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचारनीति संहिता तथा साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आचारनीति आवश्यकताओं और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों के अनुसार, हम कंपनी के अधीन नहीं हैं, तथा इन आवश्यकताओं और आचारनीति संहिता के अनुरूप हम अपनी अन्य आचारनीति आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त है तथा हमारी राय के लिए आधार प्रदान करता है।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

अन्य सूचना के लिए कंपनी के निदेशकों का बोर्ड जिम्मेदार है। अन्य सूचना में बोर्ड के रिपोर्ट में शामिल सूचना आती है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं होती।

हमारी राय में वित्तीय विवरणों पर अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते।

वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों से असंगत है या अन्य सूचना में क्या लेखापरीक्षा में या अन्य प्रकार से प्राप्त किया गया हमारा ज्ञान गलत प्रतीत होता है।

यदि हम अपने द्वारा किये कार्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य सूचना में एक तथ्यात्मक गलती है, तो हमें इस तथ्य को बताने की आवश्यकता है। इस संबंध में, हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

हमारे व्यावासायिक समझ-बूझ में, मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो वर्तमान अवधि में वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के विषय में, तथा उस पर हमारी राय में इन मामलों पर चर्चा की गई और इन मामलों पर हम अलग से राय नहीं देते। यहाँ रिपोर्ट किये जाने के लिए कोई मुख्य लेखापरीक्षा मामले नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम के खंड 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा प्रतिमानों सहित, भारत में समान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह का सही और उचित जानकारी देने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में, कंपनी अधिनियम 2013 (“अधिनियम”) के खंड 134(5) में बताये गए मामलों के लिए कंपनी के निदेशकों का बोर्ड जिम्मेदार है। कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उसका पता लगाने के लिए, उचित लेखा नीतियों के चुनाव और उपयोग के लिए, तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने और अनुमान लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से संचालित हो रहे तथा सही और उचित जानकारी देने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनकी प्रस्तुति के लिए सुसंगत और धोखाधड़ी या गलती के चलते किसी तथ्यात्मक अशुद्ध विवरण से मुक्त प्रचुर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव के लिए, इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रख-रखाव भी शामिल है।

यदि निदेशकों का बोर्ड या तो कंपनी को समाप्त करने या कामकाज को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या उनके पास इसे करने के अतिरिक्त कोई और मजबूत विकल्प नहीं है, तो वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशकों का दल व्यवसाय को जारी रखने, व्यवसाय से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण तथा लेखा के व्यवसाय आधार का उपयोग करने की कंपनी की योग्यता का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी है। निदेशकों का बोर्ड कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में धोखाधड़ी या गलती के चलते तथ्यात्मक अशुद्ध विवरण से मुक्त है, तथा हमारा उद्देश्य हमारी राय सहित लेखापरीक्षक के रिपोर्ट को जारी करना है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है किंतु यह एक गारंटी नहीं है कि मानक लेखापरीक्षा के अनुरूप किया गया लेखापरीक्षा तथ्यात्मक अशुद्ध विवरण के होने पर उसका हमेशा पता लगा पाएगा। अशुद्ध विवरण धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो सकते हैं, तथा यदि वे अकेले या समूह में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को वाकई प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्हें तथ्यात्मक माना जाता है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. खंड 143 के उप-खंड (11) के संबंध में, भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (“आदेश”) की आवश्यकतानुसार, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जिस हद तक लागू हो, अनुलग्नक ‘क’ में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम के खंड 143 (3) की आवश्यकतानुसार, हम रिपोर्ट देते हैं कि:

   (क) हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किया, जो हमारी जानकारी और विश्वास में हमारे लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

   (ख) हमारी राय में हमने पाया कि कंपनी के पास नियमानुसार लेखा की उचित बहियाँ हैं जैसा कि उन बहियों को देखने से पता चलता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

   (घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम के खंड 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

   (ड़) कंपनी एक सरकारी कंपनी है अत: अधिनियम के खंड 164(2) के अंतर्गत निदेशकों को अपात्र घोषित करने से संबंधित

प्रावधान तथा अधिनियम के खंड 197 के अंतर्गत प्रबंधन क्षतिपूर्ति से संबंधित मामले दिनांक 5 जून 2015 के अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई.) के द्वारा लागू नहीं होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रभावोत्पादकता के संचालन के बारे में, हमारी पृथक रिपोर्ट "अनुलग्नक ख" में देखें।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) अधिनियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किये जाने के लिए अन्य मामलों के संबंध में, तथा हमारी राय और हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. वर्तमान तिथि में कंपनी पर कोई लंबित मुकदमा नहीं है।

ii. कंपनी की कोई दीर्घकालिक संविदाएं नहीं है जिनके लिए कोई भविष्य में कोई नुकसान हो। आगे, कंपनी ने की कोई भी व्युत्पन्न संविदा नहीं की है।

iii. कंपनी के पास कोई भी ऐसी राशि नहीं है, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि को अंतरित किये जाने की आवश्यकता है।

(ज) अधिनियम के खंड 143(5) की अपेक्षानुसार, भारत के महालेखापरीक्षक एवं नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर हम अनुलग्नक - 'ग' में एक विवरण दे रहे हैं।

कृते पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार फर्म का
पंजीकरण सं.: 002528S

हस्ता/-
के.आर. शानभोग
साझेदार
सदस्यता सं.: 018578
यू.डी.आई.एन.: 21018578AAAABF9965

दिनांक: 13 अगस्त 2021
हस्ताक्षर स्थान: बेंगलूरु

अनुलग्नक - 'क'

(अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 में उल्लेखित)

i. (क) परिमाणात्मक विवरणों और संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण (पी.पी.ई.) की स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरा दर्शाते हुए कंपनी समूचित अभिलेखों का रख-रखाव कर रही है;

(ख) कंपनी का पी.पी.ई. समय-समय पर प्रबंधन द्वारा स्वयं वहाँ जाकर सत्यापित किया गया। जैसा कि हमें बताया गया है। इन सत्यापनों में कोई तथ्यात्मक अनियमितता नहीं देखी गई।

(ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।

ii. कंपनी के पास कोई वस्तु-सूची नहीं है अत: आदेश का खंड 3 (ii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

iii. हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किन्हीं कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व वाली साझेदारियों या कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में आने वाले अन्य पक्षों को सुरक्षित या असुरक्षित कोई ऋण नहीं दिया है। अत: आदेश के खंड 3 (iii)(क), 3 (iii)(ख) और 3 (iii)(ग) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv. हमारी राय तथा हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 185 और 186 के प्रावधानों के जरिए लागू, कंपनी ने ना कोई ऋण दिया है या ना कहीं निवेश किया है या ना ही कोई गारंटी और प्रतिभूति दिया है, अत: आदेश का खंड 3 (iv) कंपनी पर लागू नहीं है।

v. कंपनी ने कोई जमा राशि स्वीकार नहीं किया है, अत: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेश और कंपनी अधिनियम के खंड 73 से 76 के प्रावधान या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान तथा उसमें आने वाले नियम कंपनी पर लागू नहीं होते। अत: आदेश के खंड 3 (v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vi. केंद्र सरकार ने कंपनी की किन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 148 (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का रख-रखाव निर्धारित नहीं किया है। अत:, आदेश के खंड 3 (vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

vii. (क) हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा की पुस्तकों और अभिलेखों के निरीक्षण के आधार पर, यह ज्ञात हुआ है कि कंपनी भविष्य निधि, राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य अधिभार कर, उपकर तथा कोई अन्य वैधानिक बकाया राशि सहित अविवादित वैधानिक बकाया राशियों को उचित प्राधिकरणों को चुकाने में नियमित रही है। ऐसी कोई वैधानिक बकाया राशि, जिस तिथि से चुकाए जाने योग्य हो जाती है, शेष राशि शीट तिथि से 6 माह से अधिक बकाया रहने पर, उनको चुकाने में कोई विलंब नहीं पाया गया है।

(ख) हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर या सेवा कर या सीमा-शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य अधिभार कर का कोई विवादित बकाया नहीं है।

viii. हमारी राय में तथा हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने न तो किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार से उधार लिया है, ना ही इसने कोई ऋणपत्र जारी किया है। अत:, आदेश का खंड 3 (viii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ix. हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अन्य सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधन सहित) और मियादी ऋण के जरिए धन उगाही नहीं की है। अत: आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

x. हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, तथा हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें कंपनी के साथ हुए या उसके द्वारा किये किसी धोखाधड़ी का प्रमाण नहीं मिला, ना ही ऐसे किसी मामले की सूचना हमें प्रबंधन से प्राप्त हुई। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (x) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xi. कॉर्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 के अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई.) के अनुसार, प्रबंधन संबंधी पारिश्रमिक के बारे में खंड 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होता। तदनुसार आदेश के पैरा 3 (xi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xii. हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, अत: आदेश का खंड 3(xii) लागू नहीं होता।

xiii. हमारी राय में संबंधित पक्षों के साथ हुए लेन-देन कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 177 और 188 के अनुपालन में हैं, तथा ऐसे लेन-देन का विवरण लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों आदि में दर्शाया गया है।

xiv. हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा के तहत इस अवधि में कोई पसंदीदा आबंटन या शेयरों का निजी स्थानन या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय ऋणपत्र नहीं बनाए। अत:, आदेश का खंड 33 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xv. हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 192 के अंतर्गत कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ किसी प्रकार का गैर-नकदी लेन-देन नहीं किया।

xvi. हमारी राय में, कथित अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित पंजीकरण वाले भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के खंड 45-आई.ए. के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार
फर्म का पंजीकरण सं.: 002528S

हस्ता/-
के.आर. शानभोग
साझेदार
सदस्यता सं.: 018578
यू.डी.आई.एन.: 21018578AAAABF9965

PAL & SHANBHOGUE FRN:002528S Bengaluru Chartered Accountants

दिनांक: 13 अगस्त 2021
हस्ताक्षर स्थान: बेंगलूरु

अनुलग्नक - 'ख'

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप-खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलूरु की वित्तीय रिपोर्टिंग पर 31 मार्च 2021 को वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ-साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा किया।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में बताए गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग दायरों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों का डिजाइन कार्यान्वयन तथा रख-रखाव शामिल है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाना और उनका रोकथाम, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी सहित कंपनी के व्यवसाय का व्यवस्थित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से संचालन कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों के दायित्व

हमारा दायित्व हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय देना है। वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट तथा कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किये जाने हेतु उपयुक्त तथा आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों - दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा हेतु लागू तथा दोनों भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी - जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए जहाँ तक लागू हो, के अनुसार, हमने अपना लेखापरीक्षा संपादित किया। उन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा यह है कि हम आचारनीति संबंधित आवश्यकताओं तथा योजना का अनुपालन करें तथा तर्कसंगत आश्वासन पाने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित किया गया तथा उन्हें बनाए रखा गया, और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तथ्यात्मक पहलुओं में प्रभावपूर्ण तरीके से संचालित किये गए, हम लेखा परीक्षण करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावपूर्णता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा में निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, किसी तथ्यात्मक गलती के होने के जोखिम का अनुमान लगाना, तथा अनुमानित जोखिम पर आधारित डिजाइन की जाँच तथा राय करना और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता का संचालन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या गलती के चलते वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक अशुद्धता के जोखिम के अनुमान सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यता स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण को तैयार करने के बारे में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गयी एक प्रक्रिया होती है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो (1) उन अभिलेखों के रख-रखाव के बारे में है, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन तथा निपटान को पूर्ण विवरण के साथ सही-सही दर्शाते हैं; (2) सुसंगत आश्वासन देते हैं कि सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सभी लेन-देन

आवश्यक रूप से दर्ज किये जाते हैं; तथा कंपनी की प्राप्तियाँ और खर्चे कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अनुमोदन के अनुसार बनायी जा रही हैं; तथा (3) कंपनी की उन परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण का समय से जाँच तथा रोकथाम, उपयोग, या निपटान के बारे में सुसंगत आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर तथ्यात्मक प्रभाव हो सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं:

नियंत्रणों के टकराव की संभावना या अनुचित प्रबंधन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण धोखाधड़ी या गलती के चलते तथ्यात्मक अशुद्धि हो सकती है तथा जिसका पता भी नहीं लगाया जा सकता। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी राय का प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है तथा शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी आ सकती है।

राय

हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर हम पाते हैं कि कंपनी ने सभी तथ्यात्मक पहलुओं पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाये रखा है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट मे बताए गए आंतरिक नियंत्रण पर आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग दायरों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2021 को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रचालन कर रहे थे।

कृते पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार
फर्म का पंजीकरण सं.: 002528S

हस्ता/-
के.आर. शानभोग
साझेदार
सदस्यता सं.: 018578
यू.डी.आई.एन.: 21018578AAAABF9965

दिनांक: 13 अगस्त 2021
हस्ताक्षर स्थान: बेंगलूरु

अनुलग्नक - 'ग' स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट के लिए

31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही अवधि के लिए "न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड" (कंपनी) के सदस्यों के लिए उसी दिनांक के हमारे रिपोर्ट "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" में उल्लेखित।

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (5) के तहत निर्देश

क्र.सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1	क्या कंपनी के पास आई.टी. प्रणाली के जरिए सभी लेखा लेन-देन तैयार करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ लेखा की विश्वसनीयता पर आई.टी. प्रणाली के बाहर लेखा लेन-देन करने के निहितार्थ को भी बताया जाए।	यह कंपनी अपने सभी वित्तीय तथा लेखाकरण लेन-देन को रिकॉर्ड करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रही है। टैली में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बाहर से की जाती हैं: 1. विदेशी प्राप्य राशियाँ तथा देयताओं का लेन-देन 2. कर्मचारी लाभ व्ययों का अभिकलन; तथा 3. वार्षिक वित्तीय दस्तावेजों को तैयार करना हमारी राय में तथा हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास इन सभी लेन-देन के मॉनीटरन तथा नियंत्रण हेतु प्रणाली मौजूद है।
2	क्या कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के चलते ऋणदाता द्वारा वर्तमान ऋण या मामले या ऋण हेतु बट्टे खाते/ऋण/ब्याज आदि पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव को बताया जाए। क्या इन मामलों का उपयुक्त रूप से हिसाब रखा जाता है? (यदि उधारदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश उधारदाता कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों के लिए भी लागू है)	कंपनी के पास कोई ऋण नहीं है, अत: यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधि (अनुदान/छूट आदि) का इसकी शर्तों एवं निबंधनों के अनुरूप समूचित ढंग से लेखा-जोखा/उपयोग किया गया? इससे विचलन के मामलों को बताए।	कंपनी ने केंद्रीय/राज्य एजेंसियों विशेष योजनाओं के लिए ना कोई निधि प्राप्त की है ना ही इसके पास ऐसी कोई प्राप्त करने योग्य निधि है।

कृते पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार
फर्म का पंजीकरण सं.: 002528S

PAL & SHANBHOGUE FRN:002528S Bengaluru Chartered Accountants

हस्ता/-
के.आर. शानभोग
साझेदार
सदस्यता सं.: 018578
यू.डी.आई.एन.: 21018578AAAABF9965

दिनांक: 13 अगस्त 2021
हस्ताक्षर स्थान: बेंगलूरु

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यढ़ाँचे के अनुसरण में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। इस अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक इस अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने हेतु उत्तरदायी होंगे। उनके द्वारा यह बात उनकी दिनांक 13.08.2021 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कही गई है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, इस अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। इस अनुपूरक लेखा परीक्षण के वैधानिक लेखा परीक्षकों के आधार-पत्रों को एक्सेस किए बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखाकरण रिकार्डों की चयनित जाँचों तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर, इस अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत मेरे ध्यान में आए तथा जो कि मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

क. लाभदायकता पर टिप्पणियां

लाभ और हानि पर विवरण

प्रचालनों से राजस्व (नोट 4.1): रु. 43,266.54 लाख

यह कंपनी 1 अप्रैल 2020 से इन्सैट/जीसैट को पट्टे पर देने के लिए अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) तथा इसके विभिन्न ग्राहकों के बीच होने वाले सभी करारों/समझौता ज्ञापनों के लिए संविदा प्रबंधक है। ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को अं.वि. तथा एनसिल के बीच साझा किया जाएगा। वर्ष 2006 से भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) एक बहुत पुराना ग्राहक है। बी.एस.एन.एल. के साथ किया गया करार 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गया। बैंक गारंटी की प्रस्तुति पर मतभेद के कारण अं.वि. तथा बी.एस.एन.एल. के बीच 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होने वाले नए करार पर हस्ताक्षर नहीं किये जा सके, तथापि वर्ष 2020-21 के दौरान बी.एस.एन.एल.को दी जाने वाली सेवाएं जारी रहीं। अं.वि. तथा बी.एस.एन.एल. द्वारा उपयोग की गई सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार का बीजक नहीं दिया।

"ग्राहकों के साथ संविदा के प्राप्त राजस्व" पर आई.एन.डी. ए.एस.-115 के अनुसार, संविदा एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे संविदा के पक्षकारों द्वारा संविदा पर अनुमोदन प्रदान किया गया है (लिखित, मौखिक रूप में अथवा अन्य प्रचलित व्यापार प्रथाओं के अनुसरण में) और दोनों ही अपने संबंधित दायित्वों को निष्पादित करने हेतु वचनबद्ध हैं। अत:, आई.एन.डी. ए.एस.-115 के प्रावधानों तथा अन्य संबंधित तथ्यों पर विचार करने के बाद प्रदान की जा रही सेवाओं पर किसी भी प्रकार के विवाद/माँगी जा रही दरों को शामिल करते हुए यह पाया गया है कि बी.एस.एन.एल. के साथ संविदागत संबंध जारी रहा। इसलिए बी.एस.एन.एल. को प्रदान की गई सेवाओं का हिसाब रखते हुए, संविदा प्रबंधक के तौर पर इसे कंपनी की बही में इसकी प्रविष्टि की जानी चाहिए थी।

बी.एस.एन.एल. को दी गई सेवाओं के कारण राजस्व के लेखाकरण न करने के कारण, "प्रचालनों से राजस्व" से संबंधित रु. 25.44 करोड़ (अं.वि. को भुगतान किया जाने वाले नेट ऑफ शेयर) का विवरण कम कर के दिखाया गया है ओर साथ ही उसी राशि का 'वर्ष के लिए लाभ' का भी विवरण कम करके दर्शाया गया है। परिणामस्वरुप, "व्यापार प्राप्तियों" को भी कम करके रु.267.07 करोड़ दिखाया गया है, जिसे बी.एस.एन.एल. से वसूल किया जाना है। अं.वि. तथा अन्य वर्तमान देयताओं - जी.एस.टी. का "व्यापार देयता" क्रमश: रु.228.91 करोड़ रु. 12.72 करोड़ होगा।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22.11.2021

हस्ता/-
लेखा परीक्षक महानिदेशक
पर्यावरण तथा वैज्ञानिक विभाग

सी. एवं ए.जी. द्वारा जारी टिप्पणी पर प्रबंधन का जवाब

लेखापरीक्षा की टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
(क) लाभकारिता पर टिप्पणी: लाभ व हानि का विवरण प्रचालनों से राजस्व (नोट 4.1): रु. 43,266.54 लाख 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी इन्सैट/जीसैट प्रेषानुकर क्षमताओं को पट्टे पर देने के लिए अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) और इसके विभिन्न ग्राहकों के बीच हुए सभी करारों/समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) के लिए कंपनी संविदा प्रबंधक है। ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को अं.वि. और एनसिल के बीच साझा किया जाना था। भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) 2006 से ही एक पुराना ग्राहक था। 31 मार्च 2020 को बी.एस.एन.एल. के साथ करार समाप्त हो गया था। अं.वि. और बी.एस.एन.एल. के बीच 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी नए करार पर बैंक प्रत्याभूति जमा करने में अंतर के कारण हस्ताक्षर नहीं हो सके, हालांकि बी.एस.एन.एल. की सेवाएं 2020-21 में जारी रहीं। अं.वि. और बी.एस.एन.एल. के बीच किसी करार की अनुपस्थिति में, कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान बी.एस.एन.एल. द्वारा ली गई सेवाओं के लिए कोई प्रस्तुत नहीं किया है। 'ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व' पर आई.एन.डी. एस.एस.-115 के अनुसार, संविदा एक ऐसा दस्तावेज है जो संविदा करने वाले पक्षकार संविदा का (लिखित में, मौखिक या अन्य प्रचालित व्यवसाय प्रयोगों के अनुरूप) अनुमोदन करता है और अपने संबंधित बाध्यताओं को निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। इस प्रकार, दी गई सेवाओं/लगाई गई दरों पर बिना किसी विवाद सहित आई.एन.डी. ए.एस.-115 के प्रावधानों तथा अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया है कि बी.एस.एन.एल. के साथ संविदात्मक संबंध बना रहे। अत:, संविदा प्रबंधक होने के नाते कंपनी की किताब पर बी.एस.एन.एल. को दी गई सेवाओं का लेखा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था। बी.एस.एन.एल. को दी गई सेवाओं से प्राप्त राजस्व की लेखा गणना नहीं करने से रु. 25.44 करोड़ (अं.वि. को भुगतान किए जाने वाला कुल ऑफ शेयर) के 'प्रचालन से राजस्व' की न्यूनोक्ति तथा साथ ही साथ उतनी ही राशि की 'वर्ष के दौरान लाभ' की न्यूनोक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप, 'व्यापार संबंधित प्राप्त करने योग्य राशियों' में भी 267.07 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई जोकि बी.एस.एन.एल. से प्राप्त की जाने वाली राशि है। अं.वि. को किये जाने वाले 'व्यापार प्राप्तियों' और 'अन्य वर्तमान दायित्वों - जी.एस.टी.' में भी क्रमश: भारतीय रु. 228.19 करोड़ और भारतीय रु. 12.72 करोड़ की न्यूनोक्ति की गई है।	सैटकॉम के संबंध में वाणिज्यिक संबंध के प्रबंधन के लिए दिनांक 13 जून 2019 के एम.ओ.यू. सं. अं.वि./एनसिल/एम.ओ.यू./2019 के जरिए एनसिल का अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के साथ समझौता ज्ञापन हुआ। उसी के अनुरूप, वित्त वर्ष 2020-21 से आगे हेतु प्रेषानुकर पट्टादारी के लिए अं.वि. द्वारा किए गए करारों हेतु एनसिल 'संविदा प्रबंधक' है। अं.वि. के करारों के तहत बकाया भुगतानों के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंक प्रत्याभूतियों को जमा करने की शर्त को बी.एस.एन.एल. द्वारा स्वीकार न करने के कारण अं.वि. ने बी.एस.एन.एल. के साथ करार पर हस्ताक्षर नहीं किया। अत: वर्तमान में बी.एस.एन.एल., एनसिल का ग्राहक नहीं है। उपरोक्त एम.ओ.यू. के अनुच्छेद-3 के अनुसार, अं.वि. के संविदा प्रबंधक के रूप में एनसिल के अधिकार और बाध्यताएं अं.वि. और बी.एस.एन.एल. के बीच हुए करार से आती हैं। हालांकि, जब सेवाएं दी जा रही थीं, तो एनसिल ने वित्त वर्ष के दौरान ही अं.वि./सैटकॉम पी.ओ. और बी.एस.एन.एल. के बीच करारों पर हस्ताक्षर कराने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किये। बी.एस.एन.एल. के साथ करार पर हस्ताक्षर न किए जाने और उसके परिणामस्वरूप अं.वि. व जी.एस.टी. के राजस्व पर प्रभाव के बारे में, एनसिल अं.वि./सैटकॉम-पी.ओ. के साथ आवधिक रूप से जानकारी प्राप्त करता रहा। आगे, अपनी बोर्ड की बैठक की सहमति से कंपनी ने विभाग को सूचित किया कि (क) या तो बी.एस.एन.एल. के साथ प्रत्यक्ष व्यापार किया जाए या (ख) उस अवधि के लिए भुगतान योग्य अतिरिक्त व्ययों/जुर्मानों की प्राप्ति के साथ इस कारण से उपजे किसी दायित्व से एनसिल को मुक्त करें। अत:, अं.वि. और बी.एस.एन.एल. के बीच किसी वैध करार की अनुपस्थिति में, बी.एस.एन.एल. और एनसिल के बीच संविदा संबंधी कोई छिपी सूचना नहीं है। यदि अं.वि. और बी.एस.एन.एल. के बीच कोई वैध करार नहीं है तो ऐसे में एनसिल के पास बी.एस.एन.एल. के लिए बीजक (इनवायस) बनाने का अधिकार नहीं है। लेखा मानक (ए.एस.) 9 के पैरा 10 के अनुसार, "यदि किसी प्रकार का दावा करते समय अंतिम वसूली की अपेक्षा करना तर्कसंगत ना हो, तो उसकी राजस्व के रूप में गणना टाल देनी चाहिए"। अं.वि. और बी.एस.एन.एल. के बीच करार हो जाने के बाद, कंपनी अं.वि. के साथ हस्ताक्षरित वर्तमान समझौता ज्ञापन के अनुसार ही उसे भी संभालेगी। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर, एनसिल की लेखा किताब में 'प्रचालन से राजस्व, वर्ष के दौरान लाभ, व्यापार प्राप्तियों, अं.वि. को व्यापार संबंधी भुगतान योग्य राशि और अन्य वर्तमान दायित्वों' में कोई न्यूनोक्ति नहीं है।

31 मार्च, 2021 तक का तुलन पत्र

(राशि: रु. लाखों में)

	विवरण	नोट सं.	31.03.2021 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े	31.03.2020 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
क	**इक्विटी एवं देयताएं**			
1	**शेयरधारकों की निधियां**			
	(क) शेयर पूँजी	3.1	1,000.00	1,000.00
	(ख) आरक्षित निधि तथा अधिशेष	3.2	15,773.62	5,129.45
			16,773.62	**6,129.45**
2	**गैर-वर्तमान देयताएं**			
	(क) आस्थगित कर देयताएं [निवल]	6	1.28	1.08
	(ख) दीर्घावधि के प्रावधान	3.3	0.82	0.00
			2.10	**1.08**
3	**वर्तमान देयताएं**			
	(क) कारोबार देय	3.4		
	(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया देय; और		0.07	2.25
	(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के सिवाय अन्य लेनदारों का कुल बकाया देय		75,030.75	11,234.87
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	3.5	4,049.98	4,346.19
	(ग) अल्पावधि प्रावधान	3.6	58.29	96.24
			79,139.09	**15,679.55**
	कुल		**95,914.81**	**21,810.08**
ख	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां**			
	(क) अचल संपत्ति			
	(i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3.7	50.27	52.14
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	3.8	0.33	6.18
	(iii) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	3.9	7.55	7.55
	(ख) अन्य गैर-वर्तमान संपत्ति	3.10	15,541.41	6,213.97
			15,599.56	**6,279.84**
2	**वर्तमान परिसंपत्तियां**			
	(क) कारोबार प्राप्य राशियां	3.11	22,226.90	4,481.47
	(ख) नकद एवं बैंक शेष	3.12	51,358.61	6,336.76
	(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	3.13	6,729.74	4,712.01
			80,315.25	**15,530.24**
	कुल		**95,914.81**	**21,810.08**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां संलग्न नोट वित्तीय विवरण का एक अभिन्न भाग है हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार		2.2		

कृते **मेसर्स पाल एवं शानभोग**
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 002528S

हस्ता /-
के.आर. शानभोग
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं. 18578

दिनांक: 13 अगस्त 2021
स्थान: बेंगलूरु

निदेशक बोर्ड के लिए एवं निदेशक बोर्ड की ओर से

हस्ता /-
अन्नामलई अरुणाचलम
निदेशक, तकनीकी एवं नीति
डी.आई.एन.: 0009262267

हस्ता /-
राधाकृष्णन दुरईराज
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन.: 08382973

हस्ता /-
के. रेणु
कंपनी सचिव

31-03-2021 को समाप्त अवधि का लाभ तथा हानि लेखा

(राशि: रु. लाखों में)

	विवरण	नोट सं.	31-03-2021 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष हेतु आंकड़े	31-03-2020 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि हेतु आंकड़े
I	प्रचालनों से राजस्व	4.1	43,266.54	31,451.62
II	अन्य आय	4.2	1,167.71	725.47
III	**कुल राजस्व** (I+II)		**44,434.25**	**32,177.09**
IV	**व्यय**			
	(क) प्रचालनों से राजस्व की लागत	4.3	27,468.45	25,013.29
	(ख) कर्मचारी हितकारी व्यय	4.4	239.67	167.50
	(ग) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	4.5	22.59	10.15
	(घ) अन्य व्यय	4.6	370.89	129.14
	कुल व्यय		**28,101.60**	**25,320.08**
V	**अपवादात्मक एवं विशेष मद तथा कर पूर्व लाभ** (III - IV)		16,332.65	6,857.01
VI	अपवादात्मक मदें		-	-
VII	**असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ** (V - VI)		**16,332.65**	**6,857.01**
VIII	विशेष मद		-	-
IX	**कर के पहले लाभ** (VII - VIII)		16,332.65	6,857.01
X	**कर व्यय**:			
	(1) वर्तमान कर		4,148.28	1,726.48
	(2) स्थागित कर	6	0.20	1.08
XI	**प्रचालन जारी रखने की अवधि के लिए लाभ / (हानि)** (IX - X)		**12,184.17**	**5,129.45**
XII	**प्रचालन बंद करने के समय की अवधि के लिए लाभ / (हानि)**		-	-
XIII	**प्रचालन बंद करने पर कर व्यय**		-	-
XIV	**प्रचालन बंद करने से लाभ / (हानि) (कर के बाद)** (XII - XIII)		-	-
XV	**अवधि के लिए लाभ / (हानि)** (XI + XIV)		**12,184.17**	**5,129.45**
XVI	**प्रति शेयर अर्जन**			
	(1) मूल (रुपयो में)	5	121.84	51.29
	(2) विलयित (रुपयो में)	5	121.84	51.29
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां संलग्न नोट वित्तीय विवरण का एक अभिन्न भाग है हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार		2.2		

कृते **मेसर्स पाल एवं शानभोग**
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 002528S

हस्ता /-
के.आर. शानभोग
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं. 18578

दिनांक: 13 अगस्त 2021
स्थान: बेंगलूरु

निदेशक बोर्ड के लिए एवं निदेशक बोर्ड की ओर से

हस्ता /-
अन्नामलई अरुणाचलम
निदेशक, तकनीकी एवं नीति
डी.आई.एन.: 0009262267

हस्ता /-
राधाकृष्णन दुरईराज
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन.: 08382973

हस्ता /-
के. रेणु
कंपनी सचिव

31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु नकद प्रवाह लेखा

(राशि: रु. लाखों में)

	विवरण		31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए
क.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**			
	कर पूर्व निवल लाभ/ (हानि)		16,332.65	6,857.01
	जोड़ें: मूल्यह्रास एवं परिशोधन		22.59	10.15
	जोड़ें: अचल संपत्ति की बिक्री से हानि		0.43	-
	घटाएं: प्राप्त ब्याज		(1,240.36)	(468.08)
	कार्यकारी पूंजी परिवर्तन के पहले प्रचालन लाभ		**15,115.31**	**6,399.08**
	कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन			
	अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियों का (बढ़ना)/ घटना		(9,327.44)	(6,213.97)
	अन्य वर्तमान संपत्तियों का (बढ़ना)/ घटना		(2,017.74)	(4,712.01)
	व्यापार प्राप्य राशियों का (बढ़ना)/ घटना		(17,745.44)	(4,481.47)
	दीर्घावधि प्रावधानों का बढ़ना/ (घटना)		0.83	-
	व्यापार देयताओं का बढ़ना/ (घटना)		63,793.70	11,237.12
	अन्य वर्तमान देयताओं का बढ़ना/ (घटना)		(296.22)	4,346.19
	अल्पकालीन प्रावधानों का बढ़ना/ (घटना)		(37.95)	96.25
	कार्यकारी पूंजी में निवल परिवर्तन		**34,369.74**	**272.11**
	प्रचालन से उत्पन्न नकद		49,485.05	6,671.19
	घटना: प्रत्यक्ष कर भुगतान		(4,148.28)	(1,726.48)
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद	[क]	**45,336.77**	**4,944.71**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**			
	अचल संपत्ति का अभिग्रहण		(15.34)	(76.02)
	जमा पर प्राप्त ब्याज		1,240.36	468.08
	अचल संपत्ति की बिक्री		0.04	-
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद	[ख]	**1,225.06**	**392.06**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**			
	शेयर जारी करना		-	1,000.00
	लाभांश का भुगतान		(1,540.00)	-
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद	[ग]	**(1,540.00)**	**1,000.00**
	वर्ष के दौरान नकद तथा नकद तत्समान में निवल बढ़ोत्तरी [क+ख+ग]	[घ]	**45,021.83**	**6,336.77**
	वर्ष के शुरुआत में नकद तथा नकद तत्समान	[ङ]	6,336.77	-
	वर्ष के अंत में नकद तथा नकद तत्समान (घ + ङ) [नोट 3.12 का संदर्भ लें]		**51,358.60**	**6,336.77**

उपरोक्त नकद प्रवाह लेखा "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत तैयार किया गया है, जो कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 द्वारा जारी ए.एस.-3 'नकद प्रवाह लेखा' में दिया गया है।

संलग्न नोट वित्तीय विवरण का एक अभिन्न भाग है
हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते **मेसर्स पाल एवं शानभोग**
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 002528S

हस्ता /-
के.आर. शानभोग
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं. 18578

दिनांक: 13 अगस्त 2021
स्थान: बेंगलूरु

निदेशक बोर्ड के लिए एवं निदेशक बोर्ड की ओर से

हस्ता /-
अन्नामलई अरुणाचलम
निदेशक (तकनीकी एवं नीति)
डी.आई.एन.: 0009262267

हस्ता /-
राधाकृष्णन दुरईराज
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन.: 08382973

हस्ता /-
के. रेणु
कंपनी सचिव

वित्तीय विवरण का भाग बनाने वाले नोट

नोट 1

कॉर्पोरेट सूचना:

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (अब से ***"कंपनी"*** के रूप में उल्लेखित) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 6 मार्च 2019 को शामिल की गई एक कंपनी है, जिसका उद्देश्य भारत या विश्व के किसी हिस्से में औद्योगिक, घरेलू, वैज्ञानिक, वाणिज्यिक या किसी प्रकृति के सभी एवं प्रत्येक प्रकार के वांतरिक्ष, वैमानिकीय, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, रसायनिक, प्रकाशिक और/या पर्यावरणीय उपकरण, प्रणालियों, युक्तियों, उत्पादों, उपकरणों का निर्माण, संयोजन, फिटिंग, मरम्मत, रूपांतरण, पूर्ण मरम्मत, रख-रखाव, परामर्श, एजेंसी, सभी प्रकार एवं विवरण की सेवाएं प्रदान करना, क्रय, विक्रय, आयात, निर्यात, मंगवाने, बदलने, काम पर लगाने, संशोधन करने, मरम्मत करने तथा सौदा करने से संबंधित सभी प्रकार के व्यावसाय को चलाना है।

नोट 2

2.1 तैयारी का आधार

क अनुपालन का विवरण

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ("2013 अधिनियम")/कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 अधिनियम) जो भी लागू हों, के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ें जाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जी.ए.ए.पी.) के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया। ऐतिहासिक लागत प्रथा के तहत संभूति आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया।

ख अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

मान्यता और मापन सिद्धांत के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कंपनी के प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणा बनानी पड़ती है। ये अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणाएं लेखा नीतियों के उपयोग, परिसंपत्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरण की तिथि को समाश्रित परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के प्रकटीकरण तथा उस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती हैं। लेखा अनुमान अवधि दर अवधि परिवर्तित हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। जब प्रबंधन को अनुमानों के आस-पास परिस्थितियों के परिवर्तनों का पता चलता है, तब अनुमानों में समुचित परिवर्तन किए जाते हैं। जिस अवधि में हुए परिवर्तनों को दर्शाया जाता है तथा यदि ये परिवर्तन तथ्यात्मक हैं, तो वित्तीय विवरण से उस नोट में उनके प्रभाव को बताया जाता है।

ग नगद प्रवाह विवरण

नगद प्रवाह अप्रत्यक्ष विधियों के जरिए रिपोर्ट किये जाते हैं, जिनसे वर्ष के लाभ गैर-नगदी लेन-देन, निवेश नगद पावतियों या भुगतानों का संचालन करते अतीत या भविष्य के किसी आस्थगनों या संभूतियों तथा नगद प्रवाहों के निवेश या वित्तपोषण से संबंधित आय या खर्चों के मद के प्रभावों के लिए समायोजित किये जाते हैं। कंपनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से नगद प्रवाह को अलग किया जाता है। कंपनी उन सभी उच्च सरल निवेशों पर ध्यान देती है, जो आसानी से नगद और नगद के समान ज्ञात राशियों में परिवर्तित किये जाते हैं।

2.2 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

क राजस्व मान्यता

नियत मूल्य संविदाओं को पूर्ण करने में हुई उन्नति का पता लगाने के लिए संविदा में हुई सहमति के अनुसार, कंपनी गतिविधि के समापन के महत्वंपूर्ण चरणों का उपयोग करते हुए समापन विधियों के प्रतिशत का इस्तेमाल करती है। समापन विधि लेखा का प्रतिशत कुल अपेक्षित संविदा राजस्व तथा लागत के अनुमानों पर निर्भर करता है। इस विधि को तब अपनाया जाता है, जब संविदा के विभिन्न पहलुओं पर लागू राजस्व तथा लागत का सुसंगत ढ़ंग से निर्भर होने योग्य अनुमान बनाया जा सके। चूँकि इन संविदाओं

की वित्तीय रिपोर्टिंग उन अनुमानों पर निर्भर करती है, जिनका इन संविदाओं की मियाद के दौरान निरंतर आंकलन किया जाता है, अत: जैसे-जैसे संविदा समापन की ओर बढ़ती है, मान्यता प्राप्त राजस्व और लाभ में संशोधन हो सकता है।

i) **बिक्री**:

सुपुर्द की जाने वाली सामग्रियों के ग्राहकों या उनके नियत किये गए/संविदा की गई परियोजना को सुपुर्दगी के समय सभी अप्रत्यक्ष करों का कुलयोग, अर्थात राजस्व, की गणना की जाती है। हालाँकि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी विलंब से की जाती है और ग्राहक इसकी जिम्मेदारी लेता है और बिलों को स्वीकार करता है, तो राजस्व मान्य होता है, बावजूद इसके कि सुपुर्दगी वास्तव में तब तक नहीं हुई है और यह अपेक्षा होती है कि सामग्री की सुपुर्दगी की जाएगी तथा यह उपलब्ध है और इसे चिह्नित किया जा चुका है तथा यह सुपुर्द की जाने वाली है, और यदि सुपुर्दगी, लगाये जाने/निरीक्षण जैसी शर्तों के अधीन है, तो राजस्व तब तक मान्य नहीं होता, जब तक कि ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार नहीं करता और लगाये जाने/निरीक्षण का कार्य पूरा नहीं होता।

ii) **सेवाएं**

क) प्रमोचन, संस्थापन, कमीशनिंग तथा परीक्षण:

संविदा की अपेक्षानुसार, सभी अप्रत्यक्ष करों के विशुद्ध योग अर्थात राजस्व को गतिविधि के पूर्ण होने के महत्वपूर्ण समय/चरण के संदर्भ में मान्यता दी जाती है।

ख) एक्सेस शुल्क, अंतरिक्ष खंड, मिशन सहायता आदि

एकल या आवर्ती सेवा के रूप में संविदा हुई सेवा के उपलब्ध कराने या आवधिक रूप से सेवा की प्रकृति के अनुसार सभी अप्रत्यक्ष करों के विशुद्ध योग अर्थात राजस्व को तुरंत मान्यता दी जाती है।

ग) परामर्श

संविदा के अंतर्गत परामर्श देने या आवधिक रूप से परामर्श की प्रकृति के अनुसार राजस्व को तुरंत मान्यता दी जाती है।

iii) **संयुक्त संविदाएं**

ऊपर मद (i) और (ii) में उल्लेखित नीति के तहत संयुक्त संविदा की प्रत्येक वस्तु के लिए राजस्व की मान्यता दी जाती है।

iv) **अन्य आय**

क) ब्याज

ब्याज आय को संभूति आधार पर मान्यता दी जाती है। तथापि, व्यापार में प्राप्त होने वाले ब्याज आय को प्राप्ति आधार पर मान्यता दी जाती है।

ख) रॉयल्टी

स्वामित्व/रॉयल्टी का लेखा ग्राहकों से प्राप्त स्वीकार्यता के आधार पर संभूति पर की जाती है।

ग) निवेशों का लाभांश

जब कंपनी का भुगतानों को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तब निवेश पर लाभांश की मान्यता दी जाती है।

ख विदेशी मुद्रा का लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेन-देन, लेन-देन तिथि के विनिमय दर को लागू करके प्रकार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड की जाती है। कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है।

विदेशी मुद्रा मूल्य वर्गित आर्थिक परिसंपत्तियों तथा जिम्मेदारियों को शेष राशि शीट तिथि को लागू विनिमय दरों पर प्रासंगिक प्रकार्यात्मयक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप लाभ या हानि को लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया

किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित तथा परंपरागत लागत में मापित गैर-आर्थिक परिसंपत्तियों तथा मुद्रेतर जिम्मेमदारियों को पुन: परिवर्तित नहीं किया जाता है।

ग संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण

- मान्यता एवं मापन

संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण कम संचयित अवमूल्यन और संचयित हानि, यदि कोई हो, लागत पर नियत किये जाते हैं।

संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण की लागत में व्यापार छूट, रियायतें तथा किसी उपकरण के वांछित उपयोग के लिए इसको कार्य योग्य बनाने में प्रत्यक्षत: शामिल लागत को घटाने के बाद आयात शुल्क तथा अप्रतिदेय खरीद करों सहित इनका खरीद मूल्य शामिल है।

यदि संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण के किसी एक वस्तु के महत्वपूर्ण हिस्सों की अलग उपयोगी अवधि है, तो उन्हें संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण की अलग वस्तुओं (प्रमुख घटकों) के रूप में लिया जाता है।

संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण के किसी एक वस्तु के निपटान में हुए लाभ या हानि को लाभ-हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

-उत्तरवर्ती खर्चे

यदि खर्च से संबंधित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होना संभव हो, तो उत्तरवर्ती खर्च को पूंजी में शामिल किया जाता है।

घ अमूर्त अचल परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियाँ कम संचयित परिशोधन तथा हानि लागत पर नियत की जाती हैं। अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोग हेतु उनकी उपलब्धता तिथि से उनके क्रमश: अलग-अलग अनुमानित उपयोगी अवधि तक ऋण परिशोधन किया जाता है।

मान्यता योग्य अमूर्त परिसंपत्ति की अनुमानित उपयोगी अवधि कुछ एक कारकों पर आधारित होती है, जिनमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकिय अग्रिम) के प्रभाव तथा परिसंपत्ति से आने वाला अपेक्षित भावी नगद प्रवाह प्राप्त करने के लिए आवश्यक रख-रखाव खर्चे का स्तर शामिल है। ऋण परिशोधन विधियों तथा उपयोगी अवधियों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

आंतरिक रूप से या आंतरिक इस्तेमाल हेतु तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को, जोकि संबंधित हार्डवेयर का एक आंतरिक भाग नहीं होता, अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में जाना जाता है तथा इसकी लागत का सीधे तौर पर 5 वर्ष की अवधि में ऋण परिशोधन किया जाता है। जब परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है तब ही ऋण परिशोधन शुरू होता है। जहां कहीं अमूर्त परिसंपत्तियों (चाहे महत्वपपूर्ण हो या नहीं) की उपयोगी अवधि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, तो लागत, खरीद वर्ष में रद्द कर दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर अपक्षय की वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा जब अपक्षय के संकेत होते हैं, तो वह परिसंपत्ति क्षीण हो जाती है।

ङ मूल्यह्रास एवं परिशोधन:

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 11 में दिये अनुसार सीधी रेखा पद्धति (स्ट्रेट लाईन मेथड) अथवा परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी जीवन काल के अनुसार प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों, जो भी अधिक हो, के अनुसार प्रदान किया गया है।

प्रत्येक तौर पर रु. 0.05 लाख से कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों का क्रय के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रास हुआ।

कंपनी प्रबंधन की इच्छानुसार मूल्य में ह्रास की गणना के उद्देश्य के लिए परिसंपत्ति की लागत का 1% उसके अपशिष्ट मूल्य के रूप में विचार करती है। अधिकतम सीमा तक मूल्य ह्रास करना उपयुक्त होगा। अमूर्त परिसंपत्तियों के मामले में अपशिष्ट मूल्य शून्य माना गया है।

परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:

विवरण	उपयोगी जीवन काल
भवन (विद्युत प्रणालियाँ)	10 वर्ष
भवन (आंतरिक)	3 वर्ष
भवन (अस्थाई संरचनाएँ)	3 वर्ष
फर्नीचर तथा उपस्कर	10 वर्ष
कंप्यूटर तथा पेरिफेरल	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
संचार प्रणालियाँ	3 वर्ष

च माल सूचियाँ

कच्चा माल, चालू कार्य तथा तैयार माल को कम मूल्य पर आँका जाता है तथा वास्तविक मूल का अनुमान किया जाता है। वस्तुओं की लागत फर्स्ट-इन-फर्स्ट आऊट फार्मूला के आधार पर तय की जाती है तथा वह माल-सूचियाँ के अर्जन में एवं उन्हें वर्तमान स्थान एवं स्थिति पर लाने हेतु किए गए अन्य खर्च में शामिल है। चालू कार्य तथा तैयार माल के मामले में, लागत में परिवर्तन खर्च शामिल हैं।

छ निवेश

शुरुआती निर्धारण में, सभी निवेशों को लागत के आधार पर मापा जाता है। लागत में क्रय की कीमत तथा दलाली तथा शुल्क जैसे प्रत्यक्ष रूप से होने वाले अर्जन जैसे प्रभार शामिल होते हैं। अर्जन के दिनांक से तीन माह के भीतर परिपक्व हो रहे निवेश को नकद समतुल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यदि उन्हें पहले से नकद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पहले से तैयार निवेश तथा, जिन्हे अर्जन के दिनांक से एक वर्ष से अधिक समय के लिए धारित नहीं किया जाएगा, उन्हें चालू निवेशों के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घ-कालीन निवेश के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। तथापि, दीर्घ-कालीन निवेशों का वह भाग, जिनकी रिपोर्टिंग दिनांक के बाद 12 महीनों के भीतर पूरा होना अपेक्षित है, को भी "दीर्घ-कालीन निवेशों के चालू भाग के तौर पर चालू परिसंपत्तियों" के तहत प्रस्तुत किया गया है। दीर्घ-कालीन निवेश (उसके वर्तमान भाग सहित) को प्रबंधन द्वारा वसूली तथा उसे पूरा करने के मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक व्यक्तिगत निवेश के लिए अलग से निर्धारित करने के बाद किया जाता है। रखाव राशि में किसी भी प्रकार की कमी तथा ऐसी कमियों के किसी भी प्रकार के बदलाव को लाभ एवं हानि के कथन में प्रभारित अथवा जमा किया जाता है।

ज व्यापार प्राप्य राशियाँ

प्राप्य राशियाँ संविदा के तहत, बिना शर्त विचार किए जाने वाले कंपनी के अधिकार को दर्शाती है। विचार किए जाने का अधिकार बिना शर्त वाली तभी मानी जाती है, जब उस विचार पर भुगतान के पूर्व समय की आवश्यकता होती है। सरकारी विभागों से लिए गए कर्ज़ सामान्यत: पूर्ण रूप से वसूली योग्य माने जाते हैं, और इसलिए कंपनी ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के जमा जोखिम की पहचान नहीं करती है। किसी महत्वपूर्ण अवधि के लिए बकाया देय के संबंध में प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षित जमा हानि के कारण क्षति का मूल्यांकन किया जा रहा है।

झ पट्टे

वे पट्टा व्यवस्थाएँ, जहाँ किसी परिसंपत्ति के प्रासंगिक स्वामित्व का जोखिम तथा लाभ पट्टाकार के पास होता है, जिन्हें प्रचालनात्मक पट्टे कहा जाता है। प्रचालनात्मक पट्टों के तहत पट्टे का किराया सरल तरीके के आधार पर लाभ एवं हानि के कथन में दर्शाया जाता है।

ञ प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

जब भी किसी उद्यम के पास किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई दायित्व हो, तो उसके लिए प्रावधान बनाया जाता है; ऐसी संभावना है कि उन दायित्वों को पूरा करने के लिए संसाधनों के प्रवाह की आवश्याकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक पर की जाती है तथा मौजूदा उत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उनका समायोजन किया जाता है। दुर्वह संविदाओं, अर्थात वे संविदाएं, जहाँ संविदा के तहत दायित्वों को पूरा करने का अपेक्षित अपिहार्य लागत उसके तहत प्राप्त होने वाली अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक हो, के लिए प्रावधान बनाए गए हैं, जहाँ यह संभव है कि किसी भी दायित्व वाली घटना के परिणामस्वरूप, ऐसे दायित्वों के उत्तम अनुमान के आधार पर, मौजूदा दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करते हुए संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होगी। जहाँ कोई भी विश्व्सनीय अनुमान नहीं बनाया जा सकता है, आकमस्मिक दायित्व के तौर पर प्रकटन किया जाता है। यह प्रकटन आकस्मिक दायित्व के लिए भी किया जाता है, जब संभावित दायित्व अथवा मौजूदा दायित्व हो, लेकिन जिसके लिए संभवत: संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता न हो।

ट व्यापार तथा अन्य देयताएँ

प्राप्त माल/सेवाओं के लिए भविष्य में भुगतान की जाने वाली राशि के लिए देयताओं की पहचान की जाती है।

ठ कंपनी द्वारा किये गये दावे

जब दावों को प्राथमिकता दी जाती है तथा उन्हें उस समय तक आगे बढ़ाया जाता है, जब कंपनी के पास ऐसी राशियों की प्राप्ति का विधिक अधिकार होता है, तो नुकसान या क्षति के लिए आपूर्तिकर्ताओं पर दावों, निर्यात छूट हेतु दावे, शुल्क वापसी तथा प्रतिदायों हेतु सीमा-शुल्क विभाग पर दावे की गणना की जाती है।

ड आय पर कर

आय पर करों में वर्तमान तथा आस्थगित आयकर आते हैं।

"वर्तमान कर: वर्तमान और पहले की अवधियों के लिए वर्तमान आयकर को उस राशि पर स्वीकार किया जाता है, जिसे तुलन-पत्र तिथि द्वारा लागू कर के दरों तथा नियमों का उपयोग करते हुए कर प्राधिकारियों को चुकाए जाते या उनसे प्राप्त किये जाने की अपेक्षा होती है। वर्तमान कर की राशि उस कर राशि के बेहतरीन अनुमान को दर्शाती है, जिसे आय करों से संबंधित अनिश्चितताओं, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद चुकता या प्राप्त किये जाने की अपेक्षा होती है। इसकी गणना रिपोर्टिंग दिनांक तक लागू कर दरों (और कर नियमों) का उपयोग करते हुए की जाती है। यदि स्वीकृत राशियों को शुरू करने के लिए लागू योग्य प्रवर्तनीय अधिकार हैं तथा विशुद्ध आधार पर या निरंतर रूप से परिसंपत्तियों को साकार करने तथा दायित्व को पूरा करने का इरादा है, तो वर्तमान कर परिसंपत्तियों तथा वर्तमान कर दायित्वों की क्षतिपूर्ति की जाती है।"

आस्थगित कर :

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए परिसंपत्तियों एवं जिम्मेदारियों की वहनीय राशियों तथा कराधान के लिए उपयोग की गई संबंधित राशियों के बीच अस्थायी अंतरो के संबंध में स्वीकार किया जाता है।

आस्थगित कर आगे बढ़ाई गई कर हानियों तथा कर जमा राशियों के संबंध में भी स्वीकार किया जाता है। ऐसा लेन-देन जो व्यवसाय सुमेलित नहीं है तथा जो लेन-देन के दौरान न तो लेखा ना ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है, उसमें परिसंपत्तियों या दायित्वों की प्रारंभिक मान्यता के चलते उपजे अंतरो के लिए, तथा सदिच्छा की प्रारंभिक मान्यता/स्वीकार्यता के कारण हुए कर योग्य अस्थायी अंतरो के लिए आस्थागित कर की मान्यता नहीं होती है।

"आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि भावी कर योग्य लाभों के होने की संभावना हो तथा जिस पर उनका उपयोग किया जा सके। मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उन्हें मान्यता दी जाती है। उन्हें उस सीमा तक घटाया जाता है कि संबंधित कर लाभ के होने की संभावना होती है या नहीं होती है।"

"आस्थगित कर की गणना उन कर दरों पर की जाती है, जिनके उस अवधि के दौरान लागू होने की अपेक्षा होती है, जब परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग तिथि तक लागू नियमों के आधार पर साकार की जाती है या दायित्व तय किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी की परिसंपत्तियों और जिम्मेदारियों की वहनीय राशि की प्राप्ति या निपटान के लिए, आस्थगित कर की गणना कर परिणामों को उसी तरह दर्शाता है जैसे कंपनी चाहती है। यदि वर्तमान कर दायित्वों और परिसंपत्तियों की क्षतिपूर्ति करने का विधिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा दायित्वों की क्षतिपूर्ति की जाती है, तथा वे उसी करयोग्य इकाई अलग कर इकाइयों पर उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर करों से संबंधित हैं और वे विशुद्ध आधार पर वर्तमान कर दायित्वों और परिसंपत्तियों का निबटान करना चाहते हैं या उनकी कर परिसंपत्तियों और दायित्वों को साथ-साथ साकार किया जाएगा।"

ढ नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में प्रत्यक्ष नकद, बैंक में जमा राशि तथा तीन माह या उससे कम में पूर्ण होने वाला, नकद की ज्ञात राशियों में परिवर्तनीय तथा मूल्य परिवर्तनों के मामूली जोखिमों के अधीन लघु अवधि वाले निवेश शामिल हैं।

ण परिसंपत्तियों की क्षति

किसी क्षति के संकेत निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को परिसंपत्तियों के वहनीय मूल्यों की समीक्षा की जाती है। यदि क्षति के कोई संकेत मिलते हैं, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियाँ जो अभी उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं, उनकी वसूली योग्य राशि का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को अनुमान लगाया जाता है। जब कभी किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि या इसकी नकद कमाने वाली इकाई इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है, तो हानि दर्ज की जाती है। ऐसी हानियाँ लाभ-हानि विवरण में दर्ज की जाती हैं। ऐसी किसी हानि को वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयुक्त अनुमानों में परिवर्तन होने पर रद्द किया जाता है। ऐसी किसी हानि को उसी सीमा तक रद्द किया जाता है कि परिसंपत्ति की वहनीय राशि उस वहनीय राशि से अधिक न हो, जिसे शुद्ध अवमूल्यन या ऋण परिशोधन पर निर्धारित किया गया होता, यदि कोई हानि दर्ज नहीं की जाती।

त संविदा संशोधन

जब कार्यक्षेत्र में परिवर्तन पर सहमति होती है, किंतु मूल्य में संबंधित परिवर्तन निर्धारित नहीं होता, तो संविदा में संशोधन किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, संशोधन से लेन-देन मूल्य में अनुमानित परिवर्तन के कंपनी के मूल्यांकन के आधार पर राजस्व दर्ज किया जाता है।

3] 31 मार्च 2021 तक के तुलन पत्र के भाग के रूप में जुड़ने वाले नोट

3.1 इक्विटी शेयर पूंजी

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 के आंकड़े	31.03.2020 के आंकड़े
प्राधिकृत पूंजी रु. 10 प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000	10,000
जारी, अंशदान की गई तथा पूरी तरह से भुगतान की गई पूंजी रु. 10 प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	1,000	1,000

3.1 (क) रिपोर्टिंग अवधि के शुरुआत तथा अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुन: समाधान

विवरण	31.03.2021 के आंकड़े	
	शेयरों की संख्या	राशि (रु. लाख में)
रु.10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर		
अवधि की शुरुआत में बकाया शेयरों की संख्या	1,00,00,000	1,000
घटाएं: अवधि के दौरान पुन: खरीदे हुए शेयरों की संख्या	-	-
जोड़ें: अवधि के दौरान जारी किए गए शेयरों की संख्या	-	-
अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	1,00,00,000	1,000

3.1 (ख) कंपनी में पांच से अधिक प्रतिशत शेयरों के धारकों की सूची

विवरण	31.03.2021 के आंकड़े	
	शेयरों की संख्या	धारण का %
इक्विटी शेयर		
राष्ट्रपति तथा उसके नामिती के माध्यम से भारत सरकार	1,00,00,000	100
	1,00,00,000	100

3.1 (ग) कंपनी में वोटिंग अधिकार सहित इक्विटी शेयरों की केवल एक ही श्रेणी है, जिसका मूल्य रु. 10 प्रत्येक हैं। ऐसे इक्विटी शेयरों से संबद्ध अधिकार, प्राथमिकता एवं प्रतिबंध कंपनी अधिनियम, 2013 एवं कंपनी निर्माण के अनुच्छेदों के तहत इक्विटी शेयर जारी करने की शर्तों के अनुरूप हैं।

3.1 (घ) कंपनी संयोजन के अनुच्छेदों के अधीन सभी अधिकार (प्रति इक्विटी शेयर के लिए एक वोट के मताधिकार सहित), सभी प्राथमिकताएं एवं प्रतिबंध (इक्विटी शेयार के अंतरण पर प्रतिबंध सहित) अधिकार निदेशक बोर्ड के पास हैं। वार्षिक सामान्य बैठक में घोषणा के बाद बोर्ड द्वारा लाभांश प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं है क्योंकि सचिव, निवेश तथा सार्वजनिक प्रबंधन विभाग (डी.आई.पी.ए.एम.) की अध्यक्षता में 12.03.2021 को संपन्न बैठक में सी.पी.एस.ई. में पूंजी प्रबंधन तथा लाभांश समिति ने दिनांक 18.03.2021 के फाइल सं. 4(30)(1)/2018-डी.आई.पी.ए.एम.-I(Pt) के जरिए कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लाभांश के भुगतान से छूट दी है।

3.1 (ङ) विकल्पों के तहत जारी करने के लिए कोई भी शेयर आरक्षित नहीं है।

3.1 (च) तुलन-पत्र तिथि को कोई भी प्रतिभूति इक्विटी शेयर में बदलने योग्य नहीं है।

3.1 (छ) (क) नकद में भुगतान प्राप्त हुए बिना संविदाओं के अनुसार पूरी तरह से भुगतान किए गए आबंटित शेयरों की समुच्चय संख्या एवं श्रेणी : शून्य

(ख) बोनस शेयर के रूप में पूरी तरह से भुगतान किए गए आबंटित शेयरों की समुच्चय संख्या एवं श्रेणी : शून्य

(ग) पुन: खरीदे गए शेयरों की समुच्चय संख्या एवं श्रेणी : शून्य

3.2 आरक्षित निधि एवं अधिशेष

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 के आंकड़े	31.03.2020 के आंकड़े
लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष / (घाटा)		
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष	5,129.45	-
जोड़ें: अवधि हेतु लाभ का अंतरण	12,184.17	5,129.45
घटाएं: भुगतान किया गया लाभांश	(1,540.00)	
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	**15,773.62**	**5,129.45**

3.3 दीर्घावधि प्रावधान

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 के आंकड़े	31.03.2020 के आंकड़े
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	0.82	
	0.82	-

3.4 व्यापार देयताएं

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 के आंकड़े	31.03.2020 के आंकड़े
(i) सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को देय	0.07	2.25
(ii) एम.एस.एम.ई. के अतिरिक्त लेनदारों को देय	75,030.75	11,234.87
	75,030.82	**11,237.12**

अतिरिक्त ब्यौरा :

कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम) के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रति बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण

(1) मूल राशि, जो बकाया है या भुगतान नहीं की गई है (निर्धारित तिथि के अंदर)	0.07	2.25
(2) उपरोक्त (1) पर देय ब्याज एवं भुगतान नहीं किया गया ब्याज		
(3) एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम के तहत सभी विलंब भुगतानों पर भुगतान किया गया ब्याज		
(4) वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद किए गए भुगतान		
(5) उपरोक्त (3) के अतिरिक्त विलंब पर अवधि के लिए देय एवं भुगतान किया गया ब्याज		
(6) उपार्जित तथा भुगतान नहीं किया गया ब्याज		

(7) उस तिथि तक देय अतिरिक्त शेष तथा आगामी वर्षों में भुगतान करने योग्य ब्याज की राशि जब तक एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत काटने योग्य व्यय को अनुमति नहीं देने के उद्देश्य हेतु, लघु उद्यमों को वास्तविक भुगतान से उपर ब्याज देय है।

3.5 अन्य वर्तमान देयताएं

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 के आंकड़े	31.03.2020 के आंकड़े
ग्राहकों से अग्रिम		
-निर्यात बिक्री हेतु	-	19.38
-अंतरिक्ष खंड प्रभार हेतु	139.30	150.87
-घरेलू बिक्री हेतु	-	13.62
कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड	-	0.52
वेतन संबंधी बकाया	0.13	72.32
जमानत जमा	1,253.06	-
आई.सी.आर.डी. [इन्सैट क्षमता आरक्षण जमा]	399.83	8.25
सांविधिक देयताएं	418.90	4,078.18
अन्य देयताएं	1,838.76	3.05
	4,049.98	**4,346.19**

3.6 अल्पकालीन प्रावधान

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 के आंकड़े	31.03.2020 के आंकड़े
अन्य		
आयकर हेतु प्रावधान	-	96.24
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान - एस.टी.	0.12	-
लागत हेतु प्रावधान	58.17	-
	58.29	**96.24**

3.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 के आंकड़े	31.03.2020 के आंकड़े
इमारत	8.10	10.31
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	21.14	16.83
कंप्यूटर एवं पेरीफेरल्स	13.36	15.64
कार्यालय उपकरण	6.89	7.54
संचार प्रणाली	0.78	1.82
	50.27	**52.14**

रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत के तथा अंत के सभी वर्गों की परिसंपत्तियों की राशियों सहित सकल एवं निवल का पुन:समाधान किया गया है, जो जोड़, निपटान, कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिग्रहण तथा अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास एवं हानि और उत्क्रमण को दर्शाता है, को अलग से प्रकट किया गया है।

3.8 अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 के आंकड़े	31.03.2020 के आंकड़े
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (ओरेकल)	0.33	6.18
	0.33	**6.18**

रिपोर्टिंग अवधि के शुरूआत की तथा अंत की सभी वर्गों की परिसंपत्तियों की राशियों सहित सकल एवं निवल का समाधान किया गया है, जो अतिरिक्त, निपटान, कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिग्रहण अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास एवं हानि और उत्क्रमण को दर्शाता है, को अलग से प्रकट किया गया है।

3.9 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 के आंकड़े	31.03.2020 के आंकड़े
सॉफ्टवेयर (ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल हेतु)	7.55	7.55
	7.55	**7.55**

3.10 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 के आंकड़े	31.03.2020 के आंकड़े
जारी गारंटी के प्रति मार्जिन राशि के रूप में जमा	15,447.75	6,192.97
कॉर्पोरेट कार्ड के लिए गारंटी के रूप में जमा	-	21.00
अन्य एजेंसियों के पास जमा	0.02	-
पूर्वप्रदत्त बैंक गारंटी प्रभार	71.20	
पूर्वप्रदत्त व्यय 2022-2041	22.45	-
	15,541.42	**6,213.97**

3.11 कारोबार से प्राप्य राशियां

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 के आंकड़े	31.03.2020 के आंकड़े
क. छह महीने से कम की अवधि हेतु बकाया कारोबार प्राप्य राशियां		
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	314.63	451.54
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	21,248.63	3,821.45
ख. छह महीने से अधिक की अवधि हेतु बकाया कारोबार प्राप्य राशियां		
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	663.64	208.48
	22,226.90	**4,481.47**

3.12 नकद एवं बैंक में शेष

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 के आंकड़े	31.03.2020 के आंकड़े
क) नकद एवं नकद समान		
i) बैंकों में शेष		
चालू खाता में	4,561.80	614.19
ii) कर्मचारी के पास अग्रदाय नकद	0.08	0.14
ख) अन्य बैंक शेष		
जमा, जिसकी पूर्ण होने की अवधि 3 वर्ष से अधिक किंतु 12 महीनों से कम या बराबर है	46,796.73	5,722.43
	51,358.61	6,336.76

3.13 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 के आंकड़े	31.03.2020 के आंकड़े
बैंकों में जमा पर संचयित ब्याज	1,197.89	312.51
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष		
- परोक्ष कर परिसंपत्तियां	2,411.15	4,219.16
पूर्वप्रदत्त व्यय	10.24	29.17
पूर्वप्रदत्त बैंक गारंटी प्रभार	110.44	151.18
वित्त वर्ष 2019-20 हेतु आयकर वापसी	3.76	-
प्राप्त आय	2,137.66	-
वित्त वर्ष 2020-21 हेतु आयकर वापसी	854.97	
धारा 90/90ए के तहत प्राप्त करने योग्य टी.डी.एस.	3.62	
	6,729.73	**4,712.02**

4] 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि लेखा के भाग के रूप में जुड़ने वाले नोट

4.1 प्रचालनों से राजस्व

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े	31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए आंकड़े
क. सेवाओं की बिक्री		
(i) निर्यात		
प्रमोचन सेवाएं	26,482.66	28,061.91
मिशन सहायता सेवाएं	130.07	38.41
वैकल्पिक प्रमोचन सेवाएं	188.92	58.12
	26,801.65	**28,158.44**
(ii) घरेलू		
भावी संविदाएं	71,041.62	7.77
घटाएं: अं.वि. के लिए राजस्व का शेयर	(63,937.46)	(6.99)
	7,104.16	**0.78**
एक के बाद एक एस.एस.सी.	9,068.44	3,024.40
प्रमोचन सेवाएं - घरेलू	130.00	130.00
सुदूर संवेदन सेवाएं	0.00	138.00
वैकल्पिक प्रमोचन सेवाएं - घरेलू	0.16	0.00
प्रौद्योगिकी अंतरण - घरेलू	80.46	0.00
मिशन सहायता सेवाएं - घरेलू	20.84	0.00
	16,404.06	**3,293.18**
ख. उत्पादों की बिक्री		
(i) निर्यात		
उत्पादों की बिक्री	21.14	0.00
	21.14	**0.00**
(ii) घरेलू		
आई.बी.एल. पृथक्करण प्रणाली - घरेलू	27.24	0.00
एस.सी.एल.-इलेक्ट्रिकल चिप्स एवं किट्स - घरेलू	12.45	0.00
	39.69	**0.00**
प्रचालनों से कुल राजस्व	**43,266.54**	**31,451.62**

कंपनी द्वारा कोई उत्पाद शुल्क नहीं लिया गया है, क्योंकि इसके उत्पादों एवं सेवाओं पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगा है।

4.2 अन्य आय

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े	31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए आंकड़े
बैंकों में जमा पर ब्याज आय	1,240.35	468.07
आवेदन शुल्क की प्राप्ति	-	1.51
विदेशी मुद्रा में लेन देन पर निवल लाभ	(72.65)	255.89
समाचार-पत्र की रद्दी की बिक्री	0.01	-
कुल अन्य आय	**1,167.71**	**725.47**

4.3 प्रचालनों से राजस्व की लागत

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े	31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए आंकड़े
क. सेवाओं की लागत		
i) निर्यात		
प्रमोचन सेवाएं	18,042.46	22,502.97
मिशन सहायता सेवाएं	60.90	30.09
वैकल्पिक प्रमोचन सेवाएं	9.19	9.49
कुल	**18,112.55**	**22,542.55**
ii) घरेलू		
प्रमोचन सेवाएं	124.86	104.00
एक के बाद एक एस.एस.सी.	9,095.15	2,256.78
मिशन सहायता सेवाएं	17.93	-
प्रौद्योगिकी अंतरण की लागत	69.86	-
सुदूर संवेदन सेवाएं	-	109.96
कुल	**9,307.80**	**2,470.74**
ख. उत्पादों की लागत		
i) निर्यात		
उत्पाद की लागत	15.50	-
	15.50	**-**
ii) घरेलू		
आई.बी.एल. पृथक्करण प्रणाली की लागत	21.79	-
एस.सी.एल. की लागत	10.81	-
	32.60	**-**
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व का कुल लागत	**27,468.45**	**25,013.29**

4.4 कर्मचारी हितकारी व्यय

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े	31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए आंकड़े
कर्मचारी हितकारी व्यय - इसरो	222.43	167.50
कर्मचारी हितकारी व्यय - एनसिल	17.24	-
	239.67	**167.50**

4.5 मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े	31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए आंकड़े
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	16.40	9.85
मूर्त संपत्तियों का परिशोधन	6.19	0.30
	22.59	**10.15**

4.6 अन्य व्यय

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े	31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए आंकड़े
विज्ञापन एवं प्रचार	3.29	25.97
बैंक गारंटी एवं एल.सी. प्रभार	82.58	29.28
संचार प्रभार	2.02	0.83
परामर्शिता, विधि एवं व्यावसायिक प्रभार	32.93	15.50
सी.एस.आर. व्यय	138.00	-
लेखा परीक्षकों को भुगतान [नोट 4.6क का संदर्भ लें]	1.20	0.50
स्थापना व्यय	20.56	-
एफ.डी. अग्रिम समापन प्रभार	11.29	-
बैंक प्रभार	5.50	1.54
आय कर पर ब्याज	-	7.10
बीमा प्रीमियम	0.86	-
विविध व्यय	11.16	0.47
कार्यालाय व्यय	17.28	12.07
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री	3.34	2.88
पी.एस.एल.वी. उत्पादन - आर.एफ.पी. एवं बिड प्रबंधन	12.30	-
दरें एवं कर	1.29	0.30
किराया प्रभार	1.13	0.89

पंजीकरण व्यय	-	1.07
संगोष्ठी, बैठक एवं कार्यक्रम व्यय	10.00	3.23
अभिदान प्रभार	1.15	4.13
प्रशिक्षण शुल्क	0.49	0.64
यात्रा एवं ठहरने का प्रभार	5.87	15.59
वेबसाइट अनुरक्षण	8.65	7.16
	370.89	**129.15**

4.6क लेखापरीक्षकों को भुगतान

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े	31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए आंकड़े
-लेखापरीक्षक के रूप में	1.20	0.50
-वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वृद्धि	0.35	-
	1.55	**0.50**

5 प्रति शेयर आय [ई.पी.एस.]

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 को आंकड़े	31.03.2020 को आंकड़े
क) इक्विटी शेयर धारकों को होने वाला लाभ	12,184	5,129
ख) शेयरों की भारति औसत संख्या (सं.) का प्रभाव	100	100
ग) प्रति शेयर अर्जन - मूल एवं विलयित (रु. में)	**121.84**	**51.29**
घ) प्रति शेयर नाम-मात्र मूल्य [रु. में]	**10**	**10**

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कंपनी के इक्विटी धारकों में बांटते हुए प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना की गई है।

इक्विटी शेयर की औसत संख्या द्वारा कंपनी के इक्विटी धारकों में निवल लाभ को बांटकर प्रति इक्विटी शेयर विलयित आय की गणना की गई है, जिसे प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना और इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के लिए भी लिया गया है, जो सभी विलयन संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी हुए होंगे। कंपनी में कोई संभावित विलयकारी प्रतिभूतियां नहीं थीं।

6 आस्थगित कर

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
आस्थगित कर परिसंपत्तियों वाली मदों पर कर प्रभाव		
पी.पी.ई. के लेखा शेष तथा कर शेष के बीच अंतर पर	-	-
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अस्थायी रूप से अस्वीकरण	0.00	-
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आगे ले जाई गई अवशेषित हानि	-	-
	0.00	**-**
आस्थगित कर देयता वाली मदों पर कर प्रभाव		
पी.पी.ई. के लेखा शेष तथा कर शेष के बीच अंतर पर	0.20	1.08
	0.20	**1.08**
31 मार्च 2020 को आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता)	(0.20)	(1.08)
शुरुआती शेष आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	(1.08)	-
लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता प्राप्त राशि	**(1.28)**	**(1.08)**

* कर आस्थगन के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर की दर 25.168% निर्धारित की गई है।

आस्थगित कर देयता, संपत्ति के मूल्यह्रास, संयंत्र एवं उपकरण, अचल संपत्ति में कंपनी अधिनियम एवं आय कर अधिनियम के बीच अंतर के कारण बकाया है।

7 आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
i) **आकस्मिक देयताएं**		
(क) गारंटियां:		
(क) बैंक गारंटी		
- एस.टी. इलेक्ट्रॉनिक्स हेतु	14,468.01	6,003.60
- के.डब्ल्यू.डी.पी. हेतु	-	48.85
	14,468.01	**6,052.45**
(ख) कॉर्पोरेट कार्ड के लिए सुरक्षा की गारंटी	-	21.00
	14,468.01	**6,073.45**
ii) **प्रतिबद्धताएं**		
(क) संविदा की शेष अनुमानित राशि, जिसे पूंजी लेखा में दिखाना है न कि..... के लिए उपलब्ध कराना है:	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं (विक्रय एवं सेवाओं हेतु संविदागत प्रतिबद्धताएं)	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुछ नहीं	कुछ नहीं

वित्त लेखा के भाग बनने वाले नोट

8.1 संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण :

a. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

b. कंपनी के कार्यदल को कार्यव्यवस्था के आधार पर इसरो से लिया गया है। ऐसे कार्यदल के वेतन के खर्च का वहन इसरो द्वारा किया जा रहा है, जिसकी प्रतिपूर्ति वास्तव में हुए खर्च के अनुसार की जाती है। सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में भुगतान का वहन इसरो द्वारा दिया जाता है।

c. लेखा मानक 18 "संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण" के अनुसार श्री नारायणन जी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा श्री राधाकृष्णन डी, निदेशक (तकनीकी एवं सामरिक) मुख्य प्रबंधन कार्मिक हैं। अवधि के दौरान ऐसे पक्षकारों के साथ उनके पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को कर्मचारी लाभ के अलावा किसी प्रकार का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ है।

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध
1) अंतरिक्ष विभाग	पूर्ण स्वायत्त वाली कंपनी
2) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन	अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहक एक संघ
3) मुख्य प्रबंधन कार्मिक	
क) श्री नारायणन जी.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
ख) राधाकृष्णन डी.	निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)

ए.एस.-18 के अनुसार संबंधित प्रकटीकरण "संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण" निम्नानुसार हैं

संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन:

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्तमान वर्ष के आंकड़े	31-03-2020 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
अंतरिक्ष विभाग [अं.वि.]		
वर्ष के दौरान दी गई सेवाओं से राजस्व	-	-
वर्ष के दौरान सेवाओं पर खर्च की लागत	82,290.76	22,703.11
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन [इसरो]		
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक	87.77	88.32
अन्य को पारिश्रमिक	134.66	79.17

संबंधित पक्ष को बकाया शेष

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्तमान वर्ष के आंकड़े	31-03-2020 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को देय	196.18	7,713.89
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को देय	23.88	72.32

8.2 कंपनी के जिन ग्राहकों के साथ संविदा खत्म हो गई है या तुलन पत्र के तैयार होने के पूर्व देयताएं प्राप्त हो चुकी हैं, उनके अलावा इसके ग्राहकों द्वारा 31 मार्च 2021 को तुलन की पुष्टि की मांग की गई है और कुछ ग्राहकों द्वारा प्रक्रिया प्राप्त हुई है। प्रबंधन की राय में, शेष राशि की पुष्टि नहीं होने से लाभ एवं हानि लेखा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अंतरिक्ष खंड प्रभार - इन्सैट/ जीसैट के संबंध में 31 मार्च 2021 को अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के तुलन पत्र की पुष्टि नहीं हुई क्योंकि विभाग 1 अप्रैल 2020 से उपग्रह परिसंपत्तियों को कंपनी को हस्तांतरित करने पर विचार कर रहा है।

8.3 **कॉर्पोरेट और सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण** :

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय किए जाने हेतु कुल राशि रु. 1,38,00,000/-
(पिछले वर्ष रु - शून्य)

(ख) वर्ष के दौरान व्यय राशि:

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग की समाप्ति पर आंकड़े
वर्ष के लिए कंपनी द्वारा व्यय किए जाने हेतु आबंटित राशि	**138.00**
वर्ष के दौरान व्यय राशि (वास्तविक भुगतान और प्रकार पर नहीं)	
सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि	5.00
संस्कृति निधि	5.00
क्षमता निर्माण कार्यक्रम	5.51
महाविद्यालय को लकड़ी के डेस्कों, बेंचों तथा मेजों की आपूर्ति	6.50
सामुदायिक शौचालयों का निर्माण	7.33
जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों के लिए उपकरणों तथा सहायता का वितरण	8.75
अलग बैंक खाते में जमा प्रतिबद्धित राशि	**66.57**
विशेष निधि में अंतरित किए जाने हेतु प्रस्तावित राशि	**33.34**
कुल	**138.00**

8.4 **प्रस्तावित लाभांश** :

(राशि: रु. लाख में)

विवरण	31-03-2021 को समाप्त वर्तमान वर्ष के आंकड़े	31-03-2020 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आंकड़े
(क) अवधि के लिए इक्विटी शेयरधारकों में बांटने के लिए प्रस्तावित लाभांश की राशि	छूट	1,540
(ख) प्रति शेयर लाभांश	लागू नहीं	15.40

सचिव, निवेश तथा सार्वजनिक प्रबंधन विभाग (डी.आई.पी.ए.एम.) की अध्यक्षता में 12.03.2021 को संपन्न बैठक में सी.पी.एस.ई. में पूंजी प्रबंधन तथा लाभांश समिति ने दिनांक 18.03.2021 के फाइल सं. 4(30)(1)/2018-डी.आई.पी.ए.एम.-I(Pt) के जरिए कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लाभांश के भुगतान से छूट दी है।

8.5 वर्ष के दौरान, 2019-20 में कंपनी द्वारा मेसर्स स्पेसलाइट इंक, यू.एस.ए. के साथ की गई संविदा को समाप्त कर दिया गया और बाद में उस पक्ष से प्राप्त राशि का आंशिक भुगतान किया गया और शेष राशि का भुगतान वित्त वर्ष 2021-22 में किया गया। तद्नुसार, रु. 629.80 लाख का राजस्व वर्ष के दौरान वापस हो गया।

8.6 वर्ष के दौरान, प्रमोचन सेवाओं के लिए कंपनी ने पक्षकार के लिए निश्चित बिल बनाया। ग्राहक द्वारा संविदा में निर्दिष्ट समय के अंदर कंपनी को उपग्रह उपलब्ध कराने में विलंब के कारण संविदा पूरी नहीं हो सकी। वह राशि पुन: प्राप्ति के संभाव्य दावे के लिए आपातकालिक राशि है। अत:, वर्ष के दौरान इन बिलों की राजस्व के रूप में गणना नहीं की गई। अंतिम परिणाम के आधार पर उचित राशि की आय के रूप में गणना की जाएगी।

8.7 वर्ष के दौरान, कंपनी ने पक्षकारों के साथ नोवेशन समझौता किया। तद्नुसार समर्पित प्रमोचन सेवाओं के लिए कार्य पूरा करने हेतु पहले के पक्षकार द्वारा आंशिक रूप से पूरी की गई संविदाओं को कंपनी ने पूरा किया। उपरोक्त समझौते के अनुसार, समझौते के तहत कंपनी द्वारा प्राप्त राजस्व अकेले कंपनी का राजस्व होगा। उसी अनुसार राजस्व की गणना की जा रही है।

8.8 भारत सरकार, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के दिनांक 04 सितंबर 2015 के अधिसूचना सं. 2437(ई) द्वारा निम्नलिखित पैरा के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में लाभ एवं हानि लेखा तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश जैसी अतिरिक्त सूचना के प्रकटीरण से छूट दी गई है:

5(viii)(क) (I) कच्चा माल II) घटक एवं अतिरिक्त पूर्जे (III) पूंजी सामग्री के संबंध में वित्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सी.आई.एफ. पर आयात के मूल्य की गणना की गई है;

(ख) रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क, ब्याज एवं अन्य मामलों में वित्त वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय;

(ग) आयात किए गए सभी कच्चे माल, वित्त वर्ष के दौरान उपभोग किए अतिरिक्त पुर्जों एवं घटक का कुल मूल्य तथा उसी प्रकार से उपयोग किए गए स्वदेशी कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जों एवं घटक का कुल मूल्य और प्रत्येक के कुल उपभोग का प्रतिशत;

(ङ) विदेशी विनिमय में आय को निम्नलिखित शीर्ष, जैसे: I. एफ.ओ.बी. अधार पर निर्यात की गई सामग्री की गणना, II. रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क, III. ब्याज एवं लाभांश, IV. अन्य आय, उसकी प्रकृति दर्शाते हए वर्गीकृत किया गया है।

8.9 वर्ष के दौरान, अनिवासी शेयरधारकों की कुल संख्या, उनके द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या जिसपर लाभांश देय है तथा वह वर्ष, जिससे लाभांश संबंधित है, को विशेष रूप में दर्शाते हए लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा में भेजी गई राशि : शून्य

8.10 **वर्ष के अंत में मुद्रा का परिवर्तन निम्नानुसार है**:

विवरण	वर्ष के अंत में मुद्रा परिवर्तन [रु. लाखो में]	नामे/ जमा	लाभ एवं हानि का लेखा
बकाया देयताओं एवं परिसंपत्तियों के संबंध में	158.34	जमा	अन्य आय में जमा
	(45.29)	जमा	(अन्य आय में जमा)

पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं।

8.11 कंपनी ने रु. 15,447.76 लाख की राशि स्थायी जमा के रूप में रखा है [रु.14,468.01 लाख (पिछले वर्ष 2019-20 में रु. 6,003.60 लाख) के समतुल्य 16,550,000 यूरो (पिछले वर्ष 2019-20 में 7,500,000 यूरो) के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी पर गत वर्ष (2019-20) रु. 6,192.97 लाख प्रतिभूति के तौर पर]। कंपनी ऐसे नियत जमा राशि पर कार्ड दर से ब्याज अर्जित कर रही

है। वर्तमान में, लेखा मानकों के अनुसार 'प्रावधान' का कोई मामला नहीं है और तदनुसार प्रकटीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के लिए गारंटी के रूप में रु. 21 लाख का नियत जमा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड में किया गया है। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कोई ऐसी प्रतिभूति नहीं रखी गई है।

8.12 नियत परिसंपत्तियों के अलावा किसी परिसंपत्ति के यथार्थ मूल्य और कारोबार के सामान्य प्रचालन में गैर-वर्तमान निवेश के बारे में बोर्ड की राय:

बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्य कारोबार के सामान्य प्रचालन में प्राप्त किया गया मूल्य कम-से-कम लेखा में दर्शाए गए उनके मूल्य के बराबर होगा

8.13 **लेखा मानक 26 के तहत प्रकटीकरण: अमूर्त परिसंपत्तियां**

क	अमूर्त परिसंपत्तियों की श्रेणी	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
ख	अमूर्त परिसंपत्तियों की प्रकृति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की खरीद
ग	उपयोगी लाइव या परिशोधन दर, जिसका उपयोग किया गया	उपयोग के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर की खरीद की दिनांक से 3 वर्ष और विकासाधीन सॉफ्टवेयर के लिए स्वीकार करने की दिनांक से 5 वर्ष
घ	उपयोग की गई परिशोधन पद्धति	सीधी रेखा पद्धति
ङ	सकल रखाव राशि	रु. 7.89 लाख
च	संचित परिशोधन	रु. 0.01 लाख
छ	अवधि के शुरुआत में तथा अंत में संचित क्षतिपूर्ति हानियां	कुछ नहीं
ज	अवधि के शुरुआत में तथा अंत में घाटा पूर्ति राशि का समाधान	नोट 3.8 के अनुबंध में दर्शाए अनुसार
झ	आंतरिक विकास एवं एकीकरण द्वारा अलग से दर्शाए हुए जोड़	रु 0.34 लाख के सॉफ्टवेयर खरीदे गए
ञ	सेवानिवृत्त एवं निपटान	रु. 6.48 लाख
ट	अवधि के दौरान लाभ एवं हानि लेखा में दिखाई गई क्षतिपूर्ण हानियां (यदि कोई हो)	कुछ नहीं
ठ	अवधि के दौरान लाभ एवं हानि लेखा में उत्क्रमित की गई हानियां (यदि कोई हो)	कुछ नहीं
ड	अवधि के दौरान पाया गया परिशोधन	रु. 0.01 लाख
ढ़	वर्ष के दौरान स्थानांतरित राशि में कोई परिर्वतन	कुछ नहीं

8.14 "अन्य व्ययों" में दर्शाए विविध व्यय में 7.47 लाख रुपए का पूर्व अवधि का व्यय शामिल है।

8.15 वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उपदान हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि कंपनी के वेतन पत्रक पर बीमांक रिपोर्ट के अनुरूप तुलन पत्र तिथि को किसी कर्मचारी ने सेवा के छ: वर्ष पूरे नहीं किए।

8.16 अवकाश बाध्यताओं में अर्जित अवकाश तथा अर्ध वेतन अवकाश के लिए कंपनी का उत्तरदायित्व शामिल है। यह अनिश्चित योजना है। अवकाश के एवज में नकद लेखा मानकों (ए.एस.) के अनुसार बीमांकीय मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है और उनके प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं :

वर्तमान एवं गैर-वर्तमान विभाजन 31-03-2021 (रु. लाखों में)

	का विभाजन		
	वर्तमान मूल्य बाध्यता (अनिधित योजना) का विभाजन		
1	वर्तमान	0.12	
2	गैर-वर्तमान	0.82	
	31-03-2021 को समाप्त हो रही अवधि पर बाध्यता में परिवर्तन		
1	शुरुआत (ओपनिंग) में परिभाषित बाध्यता का वर्तमान मूल्य	-	
2	ब्याज लागत	-	
3	वर्तमान सेवा लागत	0.93	
4	योजना में सुधार	-	
5	पूर्व सेवा लागत	-	
6	योजना से लाभ राशि	-	
7	पाबंदियां	-	
8	नियोजन	-	
9	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	
10	नियोक्ता से लाभ भुगतान	-	
11	अधिग्रहण/ डाइवेस्टर/ अंतरण	-	
12	प्रारंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य (समापन)	0.93	

शुद्ध परिसंपत्ति / (उत्तरदायित्व) तुलन पत्र में स्वीकृत

1	अवधि के प्रारंभ में स्वीकृत शुद्ध परिसंपत्ति (उत्तरदायित्व)	-	
2	नियोक्ता के व्यय	0.93	
3	नियोक्ता का योगदान	-	
4	नियोकता प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	-	
5	अधिग्रहण/ डाइवेस्चर्स	-	
6	पैरा 59(बी) में सीमा का प्रभाव	-	
7	अवधि के अंत में स्वीकृत शुद्ध परिसंपत्ति (उत्तरदायित्व)	0.93	

अनुमान

1	छूट दर	7.12%	
2	परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	
3	वेतन वृद्धि	7%	
4	क्षयण दर	5.00%	
5	अवकाश गणना एवं ग्रहण तकनीकी	एल.आई.एफ.ओ.	
6	अवकाश प्राप्ति का अंश	5.00%	

7	पृथकत्व पर नकदीकरण का अंश	95.00%	
8	मृत्युदर - भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्युदर (2012-14) (अंतिम)		

योजना के तहत उत्तरदायित्व और लाभों का मूल्यांकन करने में निम्नलिखित जनसांख्यिकीय अनुमानों का उपयोग किया गया

	मृत्युदर	भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्युदर (2012-14)	
		अंतिम	
	विकलांगता	मृत्यु दर का 5%	
	निकासी	5.00%	
	सेवानिवृत्ति आयु	60	

भारतीय बीमाकृत लोगों की मृत्युदर 2012-14 के अनुसार नमूना मृत्युदर तालिका

मृत्युदर (प्रति वर्ष)

	आयु	मृत्युदर	
	20	0.00092	
	30	0.00098	
	35	0.00120	

8.17 कोविड-19 से उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य महामारी के संबंध में अनिश्चितताओं का अनुमान

कोविड-19 के रूप में वैश्विक महामारी अपना प्रभाव वित्त वर्ष के दौरान भारतीय भू-भाग में भी फैला रही है। इसकी प्रतिक्रिया में, सरकार ने कई उपाय, जैसे लॉकडाउन, जिसके साथ सफाई अभ्यास, सामाजिक दूरी, सामाजिक अभिवादन के नए मानदंड जारी किए हैं। एनसिल ने सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन किया है।

कंपनी बड़े निकट से तथा तगातार सामाजिक एवं आर्थिक विकास, तात्कालिक एवं दीर्घकालिक चुनौतियों को चिह्नित, वर्तमान स्थिति से उत्पन्न हुए अवसर एवं वृद्धि कारकों का मॉनीटरन कर रही है और प्रभावकारी प्रतिक्रिया योजना तथा रणनीति विकसित कर रही है। कंपनी ने वित्त लेखा की समीक्षा इन परिवर्णनों को ध्यान में रखते हुए इस चरण में अत्यंत विशेष रूप से की है और निष्कर्ष निकाला है कि किसी भी परिसंपत्ति के मूल्य में कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है।

8.18 एनसिल, अं.वि. के स्वामित्व वाली इमारत में कार्यरत है और आवश्यक पूंजीकरण या किराया अथवा पट्टा उत्तरदायित्व को भी अं.वि. से इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर लेखा पुस्तक में दर्शाया जाएगा।

8.19 आंकड़ों को निकटतम लाख तक राउंड ऑफ तथा विगत वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ अनुरूपित करने हेतु रीग्रुप / पुन:व्यवस्थित, जो भी आवश्यक हो किया गया है।

कृते **मेसर्स पाल एवं शानभोग**
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं.: 002528S

हस्ता /-
के.आर. शानभोग
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं. 18578

दिनांक: 13 अगस्त 2021
स्थान: बेंगलूरु

निदेशक बोर्ड के लिए एवं निदेशक बोर्ड की ओर से

हस्ता /-
अन्नामलई अरुणाचलम
निदेशक, तकनीकी एवं नीति
डी.आई.एन.: 0009262267

हस्ता /-
राधाकृष्णन दुरईराज
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन.: 08382973

हस्ता /-
के. रेणु
कंपनी सचिव

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर नोट

(राशि: रु. लाख में)

3.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

विवरण	सकल खंड			मूल्यह्रास			31.03.20 को निवल रखाव राशि	सकल खंड							मूल्यंह्रास				31.03.21 को निवल रखाव राशि
	31.03.19 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31.03.20 को	31.03.19 तक	वर्ष के लिए	31.03.20 तक		01.04.2020 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	में अंतरित / समायोजन	बिक्री	निकालना	को अंतरित / समायोजन	31.03.21 को	31.03.20 तक	वर्ष के लिए	बिक्री / अंतरण हेतु कटौती	31.03.21 तक	
इमारत																			
इमारतें-अस्थायी ढांचें	-	11.10	11.10	-	1.65	1.65	9.46	11.10	-					11.10	1.65	3.66	-	5.31	5.79
इमारतें-वैद्युत प्रणालियाँ	-	0.13	0.13	-	0.01	0.01	0.12	0.13	1.79					1.92	0.01	0.03	-	0.04	1.88
इमारतें-आंतरिक भाग	-	0.93	0.93	-	0.20	0.20	0.73	0.93	-					0.93	0.20	0.31	-	0.51	0.42
उप कुल	**-**	**12.17**	**12.17**	**-**	**1.85**	**1.85**	**10.31**	**12.17**	**1.79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.96**	**1.85**	**4.00**	**-**	**5.86**	**8.10**
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	-	18.28	18.28	-	1.46	1.46	16.83	18.28	6.27					24.55	1.46	1.95	-	3.41	21.14
कंप्यूटर एवं पेरीफेरल्स	-	20.53	20.53	-	4.89	4.89	15.64	20.53	5.62					26.15	4.89	7.90	-	12.79	13.36
कार्यालय उपकरण	-	8.78	8.78	-	1.24	1.24	7.54	8.78	1.32					10.10	1.24	1.97	-	3.20	6.89
संचार प्रणाली	-	2.24	2.24	-	0.42	0.42	1.82	2.24	-		0.78			1.46	0.42	0.57	0.31	0.68	0.78
मूर्त परिसंपत्तियाँ - कुल	**-**	**61.99**	**61.99**	**-**	**9.85**	**9.85**	**52.14**	**61.99**	**15.00**	**-**	**0.78**	**-**	**-**	**76.21**	**9.85**	**16.40**	**0.31**	**25.94**	**50.27**

3.8 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	सकल खंड			परिशोधन			31.03.20 को निवल रखाव राशि	सकल खंड							परिशोधन				31.03.21 को निवल रखाव राशि
	31.03.19 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31.03.20 को	31.03.19 तक	वर्ष के लिए	31.03.20 तक		31.03.20 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	में अंतरित / समायोजन	बिक्री	निकालना	को अंतरित / समायोजन	31.03.21 को	31.03.20 तक	वर्ष के लिए	बिक्री / अंतरण हेतु कटौती	31.03.21 तक	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (ओरेकल)	-	6.48	6.48	-	0.30	0.30	6.18	6.48	0.34	-	-	-	6.48	0.34	0.30	6.19	6.48	0.01	0.33
अमूर्त परिसंपत्तियाँ -कुल	**-**	**6.48**	**6.48**	**-**	**0.30**	**0.30**	**6.18**	**6.48**	**0.34**	**-**	**-**	**-**	**6.48**	**0.34**	**0.30**	**6.19**	**6.48**	**0.01**	**0.33**

3.9 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	सकल खंड			परिशोधन			31.03.20 को निवल रखाव राशि	सकल खंड							परिशोधन				31.03.21 को निवल रखाव राशि
	31.03.19 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31.03.20 को	31.03.19 तक	वर्ष के लिए	31.03.20 तक		31.03.20 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	में अंतरित / समायोजन	बिक्री	निकालना	को अंतरित / समायोजन	31.03.21 को	31.03.20 तक	वर्ष के लिए	बिक्री / अंतरण हेतु कटौती	31.03.21 तक	
सॉफ्टवेयर (ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल हेतु)	-	7.55	7.55	-	-	-	7.55	7.55	-		-			7.55	-	-	-	-	7.55
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ -कुल	**-**	**7.55**	**7.55**	**-**	**-**	**-**	**7.55**	**7.55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.55**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.55**

नोट:

1) व्यवसाय संगठनों तथा क्षतियों/उत्क्रधमणों के जरिए कोई अधिग्रहण नहीं है।

2) 1 अप्रैल 2015 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के बारे में वित्तीय विवरणों के लिए आवश्येक कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में किये संशोधन के अनुसार, इमारत हेतु वर्ष के दौरान घटक लेखा को कार्यान्वित किया गया है तथा ऐसे घटकों को इमारत शीर्ष के तहत प्रस्तुत किया गया है।

NSIL
एनसिल

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)

अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सी.पी.एस.ई.)

पंजीकृत कार्यालय: कमरा सं. एफ.01, एच.एस.एफ.सी. भवन, इसरो मु., न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु-560 094

कॉर्पोरेट कार्यालय: इसरो मु. कैंपस, न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु-560 094

दूरभाष:+91 80 2217 2695 फैक्स: +91 80 2351 7222 ई-मेल: contact-nsil@isro.gov.in वेबसाइट:www.nsilindia.co.in

सी.आई.एन.:U74999KA2019GOI122175

जी.एस.टी.आई.एन.:29AAGCN4411P1Z1